हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018 को अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए बजट अनुमान/ वार्षिक वित्तीय विवरण

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों/वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2018–19 के बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

सबसे पहले, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को नवम्बर, 2017 के विधानसभा चुनाव में हमें निर्णायक बहुमत देने के लिए दिल की गहराईयों से धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की प्रगतिशील नीतियों तथा कार्यक्रमों में पूरा विश्वास व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के गतिशील नेतृत्व के कारण ऐसा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हो सका है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में यह मेरा पहला बजट है। मुझे इस पद पर पहुॅचाने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूॅ। मैं सिराज विधानसभा की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूॅ जिन्होंने मुझे लगातार पांचवीं बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए चुनकर, प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। अध्यक्ष

महोदय, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि:

''मुझे उंचाईयों पर देख कर, हैरान हैं कुछ लोग।

पर उन्होंने, मेरे पैरों के छाले नहीं देखे।।''

1. मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी तथा **"सब का साथ, सब का विकास"** की नीति पर चलेगी। हमने भारतीय जनता पार्टी के **"दृष्टि पत्र"** को वर्तमान सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए मार्गदर्शक अभिलेख माना है।

कार्यग्रहण के पश्चात् हमारा पहला निर्णय ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें कोई अन्य पेंशन नहीं मिल रही है, की वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु सीमा को, बिना किसी आय सीमा के, 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष करना था। इससे इस आयु वर्ग के एक लाख 30 हजार वरिष्ठ नागरिकों को ₹195 करोड़ की वार्षिक वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।

2. अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के हृदय में हिमाचल के लिए सदैव एक विशेष स्थान रहा है। UPA सरकार ने राष्ट्रीय बजट 2012–13 से 2014–15 के तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश को ₹28,552

करोड़ प्रदान किये जबकि NDA की सरकार ने 2015–16 से 2017–18 में ₹46,793 करोड़ प्रदान किया। इससे हमारे प्रिय प्रधानमन्त्री का हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए लगाव एवं स्नेह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है।

मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि 14वें वित्तायोग ने सिफारिश की थी कि विशेष दर्जा प्राप्त राज्य एवं सामान्य दर्जा प्राप्त राज्यों में राशि आवंटन में कोई अन्तर नहीं होगा। परन्तु मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार ने 28 अक्तूबर, 2015 के आदेश द्वारा सभी पहाड़ी राज्यों को सभी मूल केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में 90:10 के अनुपात में राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यू0पी0ए0 सरकार के कार्यकाल में हमें सर्वशिक्षा अभियान (SSA) में 65 प्रतिशत अनुदान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) में 75 प्रतिशत, National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) में 50 प्रतिशत एवं ICDS के विशेष पोषण कार्यक्रम (Special Nutrition Programme) में 50 प्रतिशत अनुदान मिल रहा था। अब हमें सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में समान रूप से 90 प्रतिशत अनुदान मिल रहा है। हम हिमाचल प्रदेश को विशेष लाभ देने के लिए केन्द्रीय सरकार के आभारी हैं।

3. अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल को न केवल उदार आर्थिक सहायता प्रदान की है अपितु प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से विकास की नई प्रेरणा दी है। केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 69 नए राजमार्ग स्वीकृत किये हैं। 221 ग्रामीण सड़कों एवं पुलों के लिए इस वित्त वर्ष में ₹782 करोड़ की सहायता; बिलासपुर में अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना की स्वीकृति; चम्बा, नाहन एवं हमीरपुर में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु धन राशि का आवंटन; 6 ट्रॉमा केन्द्रों के लिए ₹29 करोड़ की सहायता; "उड़ान" के अन्तर्गत वायु सेवा तथा इन्दिरा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल शिमला में अति विशिष्ट चिकित्सा खण्ड तथा Tertiary केयर सैंन्टर कुछ ऐसी सौगातें हैं, जिसके लिए हिमाचल प्रदेश के लोग केन्द्रीय सरकार के सदैव आभारी रहेंगे।

मैं प्रधानमन्त्री श्री मोदी जी का इस छोटे से पहाड़ी राज्य को इतनी उदार सहायता देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

राजकोषीय मुद्दे

4. अध्यक्ष महोदय, NDA सरकार के उदार अनुदानों के बावजूद भी पिछली काँग्रेस सरकार ने लापरवाही भरा

अनुत्पादक व्यय किया तथा राज्य के संसाधनों को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि जब पिछली भाजपा सरकार ने दिसम्बर, 2007 में कार्यभार ग्रहण किया था तब राज्य पर ₹19,977 करोड़ का ऋण था जो 31 दिसम्बर, 2012 को पद छोड़ते समय ₹27,598 करोड़ हो गया। परन्तु 18 दिसम्बर, 2017 को यह ऋण बढ़कर ₹46,385 करोड़ हो गया। अतः 2008 से 2012 के बीच केवल ₹7,621 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया गया तथा 2013 से 2017 तक ₹18,787 करोड़ का अतिरिक्त ऋण लिया गया जोकि पहले 5 वर्षों की तुलना में 246 प्रतिशत अधिक था। अतः पिछली कॉंग्रेस सरकार की नीति **"ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत"** की थी। इन ऋणों के कारण राज्य पर ₹3,500 करोड़ के वार्षिक ब्याज का बोझ है।

अध्यक्ष महोदय,

''चादर से पैर तभी बाहर आते हैं।

उसूलों से बड़े जब ख्वाब हो जाते हैं।।''

इसके अतिरिक्त पिछली कॉंग्रेस सरकार ने कर्मचारियों एवं पैंशनरों को देय वेतन व पेंशन बकाया की देनदारियां भी

वर्तमान सरकार के लिए छोड़ दी हैं।

सुशासन

5. हमने **"गुड़िया"** हेल्पलाइन नम्बर 1515 एवं **"होशियार सिंह"** हेल्पलाइन नम्बर 1090 का भी शुभारम्भ किया है। "होशियार सिंह" हेल्प लाईन से प्राप्त सूचना से ड्रग, वन एवं खनन् माफिया के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

हमारी सरकार ने वायदानुसार महिला सुरक्षा हेतु **"शक्ति ऐप्प"** का शुभारम्भ किया है। कोई भी महिला संकट के समय उपरोक्त मोबाईल ऐप्प पर जैसे लाल बटन दबाएगी इस की सूचना तुरन्त पुलिस बल तक पहुँच जाएगी। उपकरण के हिलाने से GPS द्वारा भौगोलिक स्थिति को जाना जा सकेगा तथा ऐप्प नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना भेज देगा। इन कार्यों से सुशासन प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता पूरी तरह प्रदर्शित होती है।

मैं यहाँ कहना चाहता हूँ:

''परवाह नहीं चाहे जमाना जितना भी खिलाफ हो,

चलूंगा उसी राह पर जो सीधी और साफ हो।''

6. अध्यक्ष महोदय, मादक पदार्थो के दुष्परिणामों से निपटने हेतु हम इन मादक पदार्थों की माँग एवं आपूर्ति

नियन्त्रित करने के लिए कदम उठाएंगे। आपूर्ति के नियन्त्रण के लिए हम नारकोटिक्स फसलों को नष्ट करेंगे तथा NDPS कानून को सख्ती से लागू करेंगे। मैं मादक पदार्थों के बारे मे जानकारी देने तथा जब्त करवाने के लिए सूचना देने वाले/पुलिस बल को उचित ईनाम राशि देना भी प्रस्तावित करता हूँ। माँग को नियन्त्रित करने के लिए हम मादक पदार्थों के दुष्परिणाम बारे जानकारी प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता अभियान द्वारा मादक पदार्थों के घातक परिणाम की जानकारी दी जाएगी। मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से मादक पदार्थों के आदी लोगों को इससे दूर रहने की सलाह दी जाएगी तथा व्यसन मुक्ति के लिए कैंप, उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।

राष्ट्रीय आर्थिकी

7. अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर कई नीतिगत सुधार हुए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा लाए गए सुधार के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बढ़ा है। व्यापार सुगमता सूचकांक में देश की श्रेणी बेहतर हुई है। संयुक्त माल एवं सेवा कर लागू होने से अप्रत्यक्ष कर प्रणाली बहुत सरल हो गई है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से कल्याण योजनाओं का लाभ सीधा पात्र लोगों

को मिल रहा है। उच्च मूल्यवर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण के कारण मुद्रा के कम विनिमय से कर का आधार बढ़ गया है। Insolvency & Bankruptcy Code के कारण ऋणदाता एवं कर्जदार के बीच का सम्बन्ध सदभावनापूर्ण बन गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था, विश्व की 7वीं सब से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जिस का कुल आकार 2.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। IMF की भविष्यवाणी के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। विनिर्माण क्षेत्र में पुनः बढ़ौतरी एवं सेवा क्षेत्र के बढ़ने से राष्ट्रीय आर्थिकी भविष्य में 8 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ने का अनुमान है।

प्रदेश आर्थिकी

8. अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन से राज्य की जनता पर न केवल भारी ऋण बोझ बढ़ गया है बल्कि हमारी आर्थिक विकास दर भी धीमी हो गई है।

वर्ष 2015–16 में हिमाचल की विकास दर 8.1 प्रतिशत रही वह 2016–17 में घटकर 6.9 हो गई। चालू वर्ष 2017–18 में भी प्रदेश की विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इन 3 वर्षों में हिमाचल की विकास दर

राष्ट्रीय विकास दर से कम रही है। वर्ष 2017–18 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद ₹1,35,914 करोड़ मापा गया तथा प्रति व्यक्ति आय ₹1,58,462 रहने का अनुमान है।

सतत् विकास लक्ष्य एवं नीति

9. हिमाचल प्रदेश ने भी संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य अंगीकृत किए हैं। इन 17 लक्ष्यों के 169 गणना योग्य लक्ष्य है। सतत् विकास लक्ष्यों को राज्य के बजट एवं योजना प्रक्रिया में संस्थागत किया गया है। लगभग सभी योजनाएं सतत् विकास के विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से तैयार की गई हैं। राज्य सरकार सतत् विकास के अधिकतर लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 2030 की समयसीमा से पहले वर्ष 2022 तक प्राप्त कर लेगी।

वार्षिक योजना

10. अध्यक्ष महोदय, योजना तैयार करना किसी भी बजट प्रक्रिया का अविभाज्य अंग है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए वर्ष 2018–19 के लिए ₹6,300 करोड़ की वार्षिक योजना तैयार की है। यह वर्ष 2017–18 की वार्षिक ₹5,700 करोड़ योजना से ₹600 करोड़ अधिक है। ₹6,300 करोड़ के प्रावधान में से ₹1,587 करोड़ की राशि अनुसूचित जाति योजना, ₹567 करोड़ की राशि जन–जातीय उप–योजना तथा ₹75 करोड़ की राशि

पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के लिए प्रस्तावित है।

11. बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं प्रदेश के साधनों को अनुपूरक करने में काफी मददगार साबित हुई हैं। बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ साझेदारी से हमें राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का पता चलता है। वर्तमान में राज्य में ₹15,320 करोड़ की लागत वाली 13 बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं (EAP) लागू की जा रही हैं। दो अन्य बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एजेंसियों से संवाद जारी है। मैं इस अवसर पर केन्द्रीय सरकार को इन परियोजनाओं में हिमाचल को 90:10 के अनुपात में राशि प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूँ।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

12. अध्यक्ष महोदय, आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से हिमाचल में विकास की रफ्तार तीव्रगति से बढ़ेगी। हमारी सरकार निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगी:–

- सुशासन के माध्यम से लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करना।
- ग्रामीण खेती/बागवानी आर्थिकी का रूपान्तरण

जिससे कृषकों की आय दुगुनी हो सके।

- युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन।
- प्रभावी कानून व्यवस्था की बहाली।
- सभी बेघरों को घर।
- ड्रग, खनन एवं वन माफिया पर नियन्त्रण।
- प्रभावी एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
- गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करना।
- महिला सशक्तिकरण।
- निवेश बढाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- अधोसंरचना के अन्तर को समाप्त करना।
- पन–बिजली, पर्यटन एवं उद्योगों को पुनर्जीवित करना।
- वृद्ध, महिला एवं दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा।
- कमजोर लोगों का उद्धार।
- प्रदेश के सभी घरों में सुरक्षित पीने का पानी।
- सभी पंचायतों का वाहनयुक्त सड़क से संपर्क।

हमारी सरकार पूरे उत्साह एवं समर्पण भाव से उपरोक्त सिद्धान्तों पर कार्य करेगी जिससे हिमाचल में **"राम राज्य"** आ सके और यहाँ सभी लोग शांतिपूर्वक वातावरण में अच्छा जीवन जी सके।

प्रशासनिक सुधार

13. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने **"न्यून्तम सरकार अधिकतम शासन"** की परिकल्पना की है। यह दृष्टिकोण हमारी सरकार की नीतियों एवं प्रक्रियाओं में सुधार के लिए हमें प्रेरित करेगा।

अध्यक्ष महोदय, जो मापा जाता है, वह किया जाता है। इस को देखते हुए जिला स्तर सुशासन सूचकाँक विकसित किया जाएगा जिसमे हिमाचल के सभी जिलों की सुशासन में तुलना की जा सके।

हमारी सरकार राज्य के सभी अधिनियमों, नियमों तथा योजनाओं की उनके प्रभावों, प्रासंगिकता तथा सरलीकरण की कसौटी पर समीक्षा करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों में आने में कमी लाना होगा। प्रदेश के सभी विभाग इनके सरलीकरण के बारे में प्रस्ताव आगामी 6 महीनों में मन्त्रीमण्डल के समक्ष लाएंगे।

सरकारी योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन हेतु विश्वसनीय डाटा होना अपरिहार्य है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग **"ऑन लाईन"** डाटा एकत्रित करने की प्रणाली विकसित करेगा जिससे समय पर डाटा उपलब्ध हो सकेगा।

हमारी सरकार, विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यय के विभिन्न मदों की निरन्तर समीक्षा करेगी ताकि

अपव्यय को रोका जा सके।

"सरकार लोगों के द्वार" में हमारा विश्वास है। अतएव मैं घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार के सभी मन्त्री नियमित रूप से हर जिले के दूर–दराज क्षेत्रों में **"जन मंच"** का आयोजन करेंगे जहाँ मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सभी विभाग के अधिकारी भी वहाँ उपस्थित रह कर निर्णय लेने तथा शिकायत निवारण में सहायक होंगे।

14. अध्यक्ष महोदय, मेरी यह राय है कि लोगों को उन के कल्याण हेतु प्रारम्भ की गई योजनाओं की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अतः हर वर्ष बजट के उपरान्त राज्य सरकार **"जन अधिकार पुस्तिका"** तैयार करेगी जिसमें, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा उनमें क्या लाभ दिया जाएगा, की जानकारी होगी। इन पुस्तिकाओं को पंचायत/राशन की दुकान पर जनता के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।

15. अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाए ताकि जनता को इसका लाभ शीघ्र मिल सके।

मैं घोषणा करता हूँ कि लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई

एवं जन–स्वास्थ्य विभाग के कार्य प्रबन्धन हेतु Works Management Information System (WMIS) लागू किया जाएगा जिसमें निविदा से कार्य पूर्ण होने तक सभी जानकारियों को वास्तविक समय आधार पर Update किया जाएगा। मेरे तथा संबंधित मन्त्री के डैश बोर्ड पर कार्यों की Update स्थिति समीक्षा हेतु उपलब्ध रहेगी।

16. वर्तमान में स्टाम्प पेपर कोष अथवा अधिकृत बैंक शाखा द्वारा जारी किये जाते हैं। मेरी सरकार गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर के लिए एक नई **"ई–स्टैम्पिंग"** योजना आरम्भ करेगी। नई प्रणाली में नागरिक अपने गृह/कार्यालय में ही ऑनलाईन प्रणाली से स्टाम्प पेपर प्राप्त कर उसका भुगतान कर देगा तथा उन्हें कोष अथवा बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन स्टाम्प को प्राप्त करने वाला अधिकारी चालान को ऑनलाईन सत्यापित कर सकेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी

17. प्रदेश सरकार, सभी ग्राम पंचायतों को, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से भारत नेट फेज–2 के अन्तर्गत तीव्र गति की इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

हमारा लक्ष्य **"कागज रहित"** कार्यालय वातावरण तैयार करना है। वर्तमान में 5 विभागों में ई–ऑफिस लागू किया

गया है। वर्ष 2018–19 में 5 अतिरिक्त विभागों को इससे जोड़ा जाएगा। आगामी 5 वर्षों में सभी सरकारी विभागों को ई–ऑफिस के अन्तर्गत लाने का प्रयत्न करेंगे।

18. सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं दक्षता लाने के उद्देश्य से 5 लाख से ज्यादा की निविदाओं को e-procurement Portal के माध्यम से जारी किया जाएगा। जो वस्तुएं Government e-Market (GeM) पर उपलब्ध है उन्हें वहीं से क्रय किया जाएगा।

रोजगार सृजन एवं निवेश को आकर्षित करने के लिए काँगड़ा जिले में लगभग ₹12 करोड़ की लागत से आई0टी0 पार्क पर शीघ्र कार्य होगा जिससे लगभग 400 कौशलपूर्ण लोगों को रोजगार मिलेगा।

उप योजना **19.** अध्यक्ष महोदय, राज्य में ऐसे सामुदायिक भवनों की आवश्यकता है जिसमें एक बड़ा हॉल हो ताकि विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम उसमें सम्पन्न हो सके। अतः मैं एक नई योजना **"मुख्यमन्त्री लोक भवन"** शुरू करने की घोषणा करता हूँ जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ₹30 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन 2 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। विधानसभा सदस्य व माननीय संसद सदस्य अपनी निधि से इसे और बड़ा करवा सकते

हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में एक या दो अतिरिक्त सामुदायिक भवन बनवाना चाहते हैं तो उनकी निधि के ₹15 लाख पर सरकार द्वारा भी ₹15 लाख दिए जाएंगे। इस योजना के लिए मैं ₹12 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने वर्ष 2018–19 के लिए, विकास की प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए 12 एवं 13 फरवरी, 2018 को माननीय विधान सभा सदस्यों के साथ बैठकें की। माननीय विधायकों ने **"विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना"** की राशि तथा विवेक अनुदान राशि को बढाने की माँग की थी। मैं **"विधायक क्षेत्रीय विकास निधि"** की राशि को ₹1.10 करोड़ से ₹1.25 करोड़ तथा **''विवेक अनुदान''** राशि को ₹5 लाख से ₹7 लाख बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि इससे माननीय सदन के सदस्यों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ:

''बस दिल जीतने का मकसद है,,

दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था।"

खाद्य क्षेत्र में सुधार

20. अध्यक्ष महोदय, हम खाद्य उपदान योजना के अन्तर्गत 3 दालें, 2 लीटर खाद्य तेल तथा 1 किलो आयोडीन युक्त नमक सभी राशन कार्ड धारकों को उपदान पर उपलब्ध कराएंगे। हम सभी राशनकार्ड घारकों को चीनी भी उपदान पर उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरा हिमाचल प्रदेश के APL कार्डधारकों से अनुरोध रहेगा कि यदि वे उपरोक्त दोनों उपदानों को स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं तो वे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को अपना विकल्प भेज सकते हैं। मैं माननीय सदन को यह सूचित करना चाहता हूँ कि मैने और मेरे मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों ने उपरोक्त उपदान को स्वेच्छा से छोड़ने का निर्णय लिया है। मैं इस योजना के लिए वर्ष 2018–19 में ₹220 करोड़ बजट का प्रावधान करता हूँ।

21. चालू वित्त वर्ष में हम स्वचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (e-PDS) के अन्तर्गत सभी उचित मूल्य की दुकानों में PoS यन्त्र लगाएंगे। इस वर्ष सभी राशन कार्डों को डिजिटाईज करने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा। हम मोबाइल पर ही राशन की उपलब्धता की सूचना सभी राशन कार्डधारकों को पहुचाने के लिए कार्यवाही करेंगे।

22. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के 92 प्रतिशत घरों में रसोई गैस की सुविधा है। **"भारत सरकार की उज्ज्वला**

योजना" के अन्तर्गत पात्र घरों को रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे घोषणा करने में हर्ष हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हम नई **"हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना"** आरम्भ कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, गृहिणी एक साधारण सा शब्द है पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। ''**सारा गृह जिसका ऋणी है, वही गृहिणी**'' है। इस योजना से महिलाओं को रसोई के लिए ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करने से छुटकारा मिलेगा। अतः इस योजना में बचे हुए उन परिवारों की गृहिणियों को जो **"उज्ज्वला"** योजना में शामिल नहीं है को रसाई गैस सिलेंडरों की जमा राशि तथा गैस चूल्हा के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेंगे जिससे हिमाचल के सभी परिवारों के पास अगले दो वर्षों में रसोई गैस की सुविधा हो सके। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल देश का **पहला राज्य** बनेगा जो प्रदेश के सभी परिवारों को यह सुविधा प्रदान करवाएगा। इस योजना के लिए मैं 2018–19 के लिए 12 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,

''मैं नन्हा सा दिया हूँ, जलता रहूँगा द्वार पर,

आप अन्धकार को दो चुनौती मेरे ऐतबार पर।।''

23. अध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सरकार द्वारा बहुत से नियन्त्रण आदेश जारी किए गए थे। अब देश ने खाद्य सुरक्षा प्राप्त कर ली है तथा आवश्यक वस्तुएं बाजार में तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हैं। ज्यादातर नियन्त्रण आदेश अप्रासांगिक हो गए हैं तथा इनसे "इन्स्पेक्टर राज" को बल मिलता है। बजट पूर्व चर्चा में भी व्यापारी संगठनों ने इसे हटाने का आग्रह किया था। मैं हिमाचल प्रदेश Hoarding & Prevention Order के अन्तर्गत मूल्य तथा लाभ प्रतिशत निर्धारित करने के प्रावधानों को समाप्त करना प्रस्तावित करता हूँ क्योंकि ऐसे नियम अन्य राज्यों में नहीं है। मैं यह भी प्रस्तावित करता हूँ कि अन्य नियन्त्रण आदेशों को अभी abeyance में रखा जाएगा, केवल खाद्यान्नों की कमी होने पर ही इन्हें पुनः लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ प्रसिद्ध हिन्दी कवि दुष्यन्त को उद्धृत करना चाहूँगाः

''सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,

मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।''

खेती / बागवानी आर्थिकी में परिवर्तन

24. अध्यक्ष महोदय, बागवानी का प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण स्थान है। हम उत्पादन वृद्धि पर आवश्यक बल देते हुए बागवानी में सतत् वृद्धि को सुनिश्चित करेंगे। विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित **"बागवानी विकास परियोजना"** जो ₹1,134 करोड़ की लागत से चल रही है के अंतर्गत वर्ष 2018–19 में लगभग ₹100 करोड़ की लागत से निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे।

- 2600 सेब के बगीचों में कौलौनल रूट स्टॉक पर उच्च पैदावार किस्मों का कल्मीकरण।
- उष्ण कटिबंधीय फल जैसे आम, लीची, अमरूद एवं नींबू प्रजाति के फलों के बगीचों को 400 हैक्टेयर में समूह के आधार पर लगाना।
- न्यूज़ीलैंड के विशेषज्ञों द्वारा विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को Canopy and Floor Management में प्रशिक्षण प्रदान करना।
- अंगीकृत कृषकों को छंटाई, पोषण एवं फ्लोर प्रबन्धन में प्रशिक्षण।
- 3.70 लाख अधिक पैदावार वाली सेब किस्मों का कौलौनल रूट स्टॉक का आयात।

- शिलारू तथा पालमपुर में दो श्रेष्ठ केन्द्र स्थापित करना।
- सभी समूहों में सिंचाई की व्यवस्था ।
- CA शीतभण्डारण केन्द्र, ग्रेडिंग तथा पैकिंग घरों का निर्माण तथा मार्केट यार्डों का विकास।

25. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में कार्यरत है। माननीय प्रधानमन्त्री ने उद्घोषणा की है कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करनी है। हम पूर्ण निष्ठा के साथ खेती/बागवानी आर्थिकी को निम्नलिखित प्रयासों से परिवर्तित करेंगे।

26. 1. <u>सिंचाई पर बलः</u>

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई कृषि से आय बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में कई सिंचाई योजनाएं बनाई गई हैं। परन्तु कमान्द क्षेत्र का विकास न होने के कारण पानी सभी खेतों तक नहीं पहुँच पाया है। अभी 1.30 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कमान्द विकास किया जाना शेष है। इस कार्य के लिए ₹500 करोड़ के निवेश की आवश्यकता है। अतः हम आगामी 5 वर्षों में शेष बचे हुए क्षेत्र में field Channels

के माध्यम से अन्तिम खेत तक पानी पहुँचाएंगे। मैं इसके लिए 2018–19 में ₹130 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

"प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना" (PMKSY) के अन्तर्गत आगामी 3 वित्तीय वर्षों में 17881 हेक्टेयर क्षेत्र में ₹338 करोड़ की लागत से 111 लघु सिंचाई योजनाओं के लिए एक नई इकाई मंजूर की गई है। मुझे यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त के ₹49 करोड़ प्राप्त हो गए हैं। मैं लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत 2018–19 में ₹277 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मध्यम सिंचाई योजना का नादौन क्षेत्र एवं फिन्नासिंह का काँगड़ा में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए मैं ₹85 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

मैं Efficient Irrigation through Micro Irrigation System योजना के तहत् 2018–19 में ₹15 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मैं बोरवेल निर्माण हेतु

2018–19 में ₹10 करोड़ का बजट का प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मुझे माननीय सदस्यों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारी सरकार सिंचाई के लिए एक नई योजना ''**जल से कृषि को बल**'' शुरू करेगी जिसमें आगामी 5 वर्षों में ₹250 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में चेक डैम एवं तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम एक और नई "Flow Irrigation Scheme" भी प्रारम्भ करेंगे जिसमें आगामी 5 वर्षों में ₹150 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत कूहल के स्त्रोत का नवीनीकरण तथा सामुदायिक क्षेत्रों में कूहल को सुदृढ़ करने का कार्य किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त के अतिरिक्त मैं 5 वर्षों के लिए ₹200 करोड़ की लागत से नई **"सौर सिंचाई योजना"** को शुरू करने की भी घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु जल को उठाया जाएगा तथा आवश्यक अधोसंरचना भी स्थापित की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरी आशा है कि इन तीन नई सिंचाई योजनाओं व कमान्द क्षेत्र के विकास से

किसानों/बागवानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अध्यक्ष महोदय यहाँ मैं कहना चाहूँगाः

''मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है,

मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है।

मेहनत हिमाचली किसान करें, तो इतिहास बनाती है।।''

27. 2. <u>"उत्पाद की लागत को कम करने पर बल"</u>: वर्ष 2018–19 में सभी कृषकों को पोषकों के संतुलित उपयोग के लिए "Soil Health Card Scheme" के अन्तर्गत लाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश की जलवायु गैर–मौसमी सब्जियों के लिए उपयुक्त है। प्रदेश सरकार किसानों को उच्च उत्पादकता वाले बीज वितरित करेगी। अच्छी किस्म वाले अनाज के बीच भी उपदान पर वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार बागवानी विभाग द्वारा बागवानों को अच्छी किस्म की पौध अनुदान पर दी जाएगी।

मैं हर्ष के साथ घोषणा करता हूँ कि कृषकों को सिंचाई के लिए बिजली की वर्तमान दर ₹1 प्रति युनिट से घटाकर 75 पैसे प्रति युनिट की जाएगी, इससे लाखों किसान लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सेब, अन्य फल तथा सब्जियों

पर H.P. Certain Goods Carried by Roads कर लगाया जाता है। यह कर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा ट्रकों/बागवानों से बैरियर पर वसूला जाता है। इससे यातायात भी अवरूद्ध होता है तथा बागवानों पर कर बोझ भी पड़ता है। मैं हर्ष के साथ घोषणा करता हूँ कि 2018–19 से सेब, अन्य फलों तथा सब्जियों को H.P. Certain Goods Carried by Roads कर से पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों बागवान लाभान्वित होंगें। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ गौतम बुद्ध को उद्धृत करना चाहता हूँ:

''मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है,

मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है।''

28. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग 39,790 कृषकों ने 21,473 हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक कृषि को अंगीकृत किया है।

अब, हमारी सरकार **"जीरो बजट प्राकृतिक कृषि"** को प्रोत्साहित करेगी जिससे फसलों की लागत को कम किया जा सके। हम महामहिम राज्यपाल महोदय का इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रदेश के मन्त्रियों एवं अधिकारियों के एक दल

ने कुरूक्षेत्र स्थित गुरूकुल जा कर प्राकृतिक कृषि प्रणाली समझने का काम किया। सभी इस बात से सहमत थे कि कृषि/बागवानी में लागत कम करने एवं लोगों तक स्वस्थ भोजन पहुँचाने का यह सर्वोत्तम तरीका है। हम जैविक खेती एवं **"जीरो बजट"** प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित पग उठाएंगेः—

1. कृषकों तथा कृषि, बागवानी तथा पशुपालन विभाग के विस्तार अधिकारियों को इस नई प्रणाली में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रणाली के बारे में विस्तृत जागरूकता कार्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे।
2. विश्वविद्यालयों द्वारा इसके लिए Package of Practices तैयार किए जाएंगे।
3. रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा।
4. कृषि एवं बागवानी विभाग को जो बजट कीटनाशक दवाईयों के लिए दिया जाता है, उसे अब जैविक कीटनाशकों के लिए उपयोग किया जाएगा।
5. देसी गाय की नस्ल सुधार व संवर्धन के लिए नीति बनाकर उसे कार्यान्वित किया जाएगा।
6. सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के विप्णन तथा प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु तथा जैविक कीटनाशक संयन्त्र की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत निवेश उपदान दिया जाएगा।

8. मुझे यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि हम एक नई योजना **"प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान"** प्रारम्भ करेंगे, जिसके अन्तर्गत कृषकों को आवश्यक प्रशिक्षण, जरूरी उपकरण तथा जैविक कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए मैं 2018–19 में ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं हर्ष के साथ घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त एकीकृत कदमों के द्वारा हम आगामी 5 वर्षों में हिमाचल को **"जैविक कृषि"** राज्य बनाने की परिकल्पना को साकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि,

''सफलता एक दिन में नहीं मिलती,

मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है।।''

29. 3. **"विस्तार कार्यों पर बल":** अध्यक्ष महोदय, खरीफ़ एवं रबी की बिजाई के पहले पूरे राज्य के सभी ब्लॉकों में तथा उसके पश्चात् उपयुक्त समय पर **"कृषक मेले"** आयोजित किए जाएगें। इन मेलों में बैंक व विभाग के

कर्मचारी भाग लेंगे जिससे कृषकों को कृषि सम्बन्धी तकनीकी जानकारी तथा ऋण सम्बन्धी जानकारी एक ही समय में मिल सके।

30. पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग, पशुपालन सहायता, प्रजनन सुधार, टीकाकरण तथा विस्तार गतिविधियों जैसी नियमित सेवाओं के अतिरिक्त 2018–19 में कई अन्य क्षेत्रों में भी पहल करेगा। हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अन्तर्गत दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण तथा उत्पादक स्थिति का ध्यान रखने हेतु लगभग 7.78 लाख **"नकुल स्वास्थ्य पत्र"** जारी करेंगे।

31. 4. **"तकनीकी सुधार पर बल":** सुरक्षित खेती को बढ़ाने के लिए पॉली हाउस के निर्माण हेतु **"वाई0एस0 परमार किसान स्वरोगार योजना"** में 2018–19 के लिए ₹23 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

Mukhya Mantri Green House Renovation Scheme के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पॉलीशीटस बदलने पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। अब मैं इसे बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ।

32. मजदूरों की कमी के कारण कृषि का यन्त्रीकरण समय की

माँग है। ऊँचे दाम के कारण बहुत से कृषक ट्रैक्टर, पॉवर वीडर, पॉवर टिलर जैसे उपकरण नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके लिए प्रदेश में **"कृषि उपकरण सुविधा केन्द्र"** स्थापित किए जाएंगे, जिनमें किसान/बागवान किराए पर उपकरण प्राप्त कर सकेंगे। इन केन्द्रों की स्थापना के लिए हिमाचल के किसानों/युवा उद्यमियों को ₹25 लाख की राशि तक की मशीनरी पर 40 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

मैं 2018–19 में बागवानी विभाग को कृषकों को पॉवर स्प्रेयर, पॉवर टिलर उपदान पर देने के लिए ₹12 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मैं कृषि विभाग को कृषकों की पॉवर वीडर तथा पॉवर टिलर की भारी माँग को पूरा करने के लिए ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। इसके अतिरिक्त ₹29 करोड़ के बजट प्रावधान से National Mission for Extension and Technology के अन्तर्गत कृषकों को कृषि यन्त्र भी दिए जाएंगे।

33. ओलावृष्टि से बागवानी फसलों को बचाने के लिए 30 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में संरक्षित खेती के लिए "Anti Hailnet" प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2017–18 में "Anti

Hailnet" पर उपदान प्रदान करने के लिए केवल ₹2.27 करोड़ का प्रावधान था। मैं इसे बढ़ाकर 2018–19 में ₹10 करोड़ प्रस्तावित करता हूँ।

34. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने, पिछले कार्यकाल में एन्टी हेलगन लगाने का कार्य शुरू किया था। उसकी सफलता को देखते हुए अब बागवानों ने बहुत सी जगह पर स्वयं एन्टी हेलगन लगाई है। अतः अब मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि भविष्य में सरकार बागवानों को नई **"बागवानी सुरक्षा योजना"** के अन्तर्गत एन्टी हेलगन लगाने के लिए 60 प्रतिशत उपदान प्रदान करेगी। इसके लिए मैं ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

35. कृषि में बन्दरों, जंगली जानवरों व बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने हेतु **"मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना"** के अन्तर्गत सौर बाड़ लगाई जा रही है। इसकी अब बहुत अधिक मांग आ रही है। यदि आस–पास के किसान मिलकर इसे लगाएं तो इस पर लागत कम आती है। अतः मैं यह घोषणा करता हूँ कि यदि तीन या इससे अधिक किसान सामूहिक तौर पर सोलर बाड़ लगाने का प्रस्ताव देते हैं तो सरकार इस पर 85 प्रतिशत अनुदान

प्रदान करेगी। इस योजना के लिए मैं ₹35 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ।

36. 5. **"कटाई/तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन पर बल":** राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक **"बागवानी विकास योजना"** के अन्तर्गत विभिन्न सी0ए0 केन्द्रों तथा ग्रेडिंग एवं पैकिंग घरों का निर्माण/उन्नयन किया जाएगा। हम बागवानों एवं सब्जी उत्पादकों को 50 प्रतिशत उपदान पर प्लास्टिक क्रेट उपलब्ध करवाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषकों की आय को दोगुना करने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने **"प्रधानमन्त्री कृषि सम्पदा योजना"** आरम्भ की है। इस योजना में एकीकृत शीत भण्डारण, खाद्यान्न प्रसंस्करण (Processing) तथा संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने तथा कृषि प्रसंस्करण (Processing) समूह की अधोसंरचना के विकास का कार्य किया जाएगा। इस योजना में ₹5 करोड़ तक के खाद्यान्न प्रसंस्करण (Processing) तथा ₹10 करोड़ तक के शीत भण्डारण में Plant and Machinery पर 50 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमन्त्रित करेगी जो वर्ष 2018–19 में भारत सरकार से इस योजना

में सहायता लेगी। इन उद्योगों के लिए राज्य सरकार औद्योगिक भूमि को सामान्य से 50 प्रतिशत कम की दर पर आवंटित करेगी।

राज्य सरकार ने खाद्यान्न विधायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए State Mission on food processing को प्रारम्भ किया है। इस योजना के लिए मैं ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश सरकार खाद्यान्न विधायन से जुड़े उद्योगों को Potato Chips का उद्योग काँगड़ा व कुल्लू जिले में स्थापित करने के लिए आमन्त्रित करेगी।

प्रदेश में कटाई उपरान्त Processing अधोसंरचना के निर्माण के लिए राज्य सरकार, सरकारी भूमि को 1 प्रतिशत की दर से पट्टे पर देगी। ऐसे उद्यमी जो निजी भूमि पर उपरोक्त कार्य करना चाहते हैं, उन्हें मात्र 3 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी देय होगी। इस कदम से राज्य में कृषि उत्पादों के विप्णन मे मदद मिलेगी।

37. 6. "**फसल विविधिकरण पर बल**": कृषकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार फल एवं सब्जी उत्पादन के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाएगी। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ₹300 करोड़ की लागत से JICA फसल

विविधिकरण योजना लागू की जा रही है। मुझे यह घोषणा करने में हर्ष का अनुभव हो रहा है कि ₹1,000 करोड़ की लागत से इस योजना के द्वितीय चरण को, वित्त मन्त्रालय द्वारा संस्तुति कर दी है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा।

38. सरकार द्वारा प्रदेश के निम्न ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आम, लीची, अमरूद, नींबू, पपीता, सपोटा, अनार, परसीमन तथा किवी फलों की बेहतर खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

39. राज्य में उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती की बहुत सम्भावना है जो कि पारम्परिक खेती की तुलना में उत्पादकों को अधिक मूल्य देती है। मैं उच्च मूल्य वाले फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए **"हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना"** का शुभारम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत पुष्प उत्पादन के लिए उच्च तकनीक वाले पॉलीहाऊस, किसानों को प्रशिक्षण और अन्य साधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके फलस्वरूप प्रदेश में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे तथा हिमाचल एक पुष्प राज्य के रूप में विकसित होगा। मैं वर्ष 2018–19 में इस योजना के लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। हम निजी क्षेत्र को भी पुष्प विपणन

क्षेत्र में सहभागिता के लिए तथा कृषि सम्पदा योजना के अन्तर्गत CA कोल्ड चेन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, पुष्प उत्पादक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों द्वारा बाजार में अपने फूलों के पैकेट भेजते हैं। राज्य सरकार फूलों की खेती हेतु, फूलों के परिवहन के लिए माल भाड़े के शुल्क को 25 प्रतिशत तक कम करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को निर्देशित करेगी जिससे फूल उत्पादक लाभान्वित होंगे।

40. 7. **"जोखिम कम करने पर बल":** कृषकों को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा दिलाने की दृष्टि से "प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना" के अंतर्गत सभी फसलों को, "मौसम आधारित बीमा योजना" के अंतर्गत सभी फलों व क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। मैं "प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना" तथा "मौसम आधारित बीमा योजना" के लिए ₹29 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। इन योजनाओं से विभिन्न आपदाओं में कृषकों का जोखिम कम करने में मदद मिलेगी।

41. 8.**"बेहतर मूल्य प्राप्ति पर बल":** राज्य सरकार ने किसानों को अच्छे पारिश्रमिक दिलाने के लिए 59 मार्किट यार्डों

का निर्माण किया है। विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत राज्य में नई मण्डियों का उन्नयन करने एवं खोलने हेतु ₹150 करोड़ का उपयोग किया जाएगा। मार्किट यार्डों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से साथ जोड़ा जाएगा ताकि कृषकों को बेहतर मूल्य मिल सके। सब्जी एकत्रीकरण केन्द्रों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा उन्हें ग्रामीण कृषि बाजार में परिवर्तित किया जाएगा।

मुझे यह सूचित करने में हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार "Himachal Pradesh Agriculture Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation Bill) 2018" लाएगी जिससे ई–कृषि, विपणन, पशु–धन विपणन तथा कृषि उत्पादों के सीधे विपणन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

42. 9. **"आय विविधिकरण पर बल":** जन–जातीय भेड़ पालकों की आर्थिकी में सुधार करने के लिए 60 प्रतिशत उपदान के साथ 1,000 प्रजनन भेड़ें दी जाएगी। हम ''कृषक बकरी पालन योजना'' के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अनुदान के साथ 11 बकरियों की एक ईकाई प्रदान करेंगे जिसमें हिमालयन प्रजाति का एक बकरा भी होगा।

मैं, 5,000 ब्रॉयलर योजना में मुर्गीपालन संवर्धन योजना के

लिए 60 प्रतिशत उपदान पर 50 नई इकाईयाँ भी स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ।

43. हमारी सरकार प्रदेश में श्वेत क्रान्ति लाने के लिए तथा दुग्ध सहकारी संघों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सहकारी दुग्ध संघ ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं इन सहकारी दुग्ध संघों को प्रोत्साहित करने के लिए इनके द्वारा दुग्ध एकत्रीकरण एवं वितरण की प्रतिपूर्ति हेतु ₹1 प्रति–लीटर की दर से भाड़ा उपदान देने की भी घोषणा करता हूँ। यह भाड़ा उपदान प्रदेश में सहकारी दुग्ध संघों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों द्वारा स्थापित किए जाने वाली दुग्ध विधायन व अभिशीतन इकाईयों पर 75 प्रतिशत उपदान भी देगी।

हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड इस वर्ष लगभग 245 लाख लीटर दूध एकत्रित करेगा। मैं सहर्ष दूध खरीद मूल्य को ₹1 प्रति–लीटर बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। मिल्कफैड को 2018–19 में ₹17 करोड़ का सहायता अनुदान दिया जाएगा।

44. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार "उत्तम चारा उत्पादन

योजना" के अन्तर्गत 50 प्रतिशत उपदान पर कृषकों को उन्नत प्रकार के चारा, बीज व भूसा काटने की मशीनें देगी। इस योजना में अजोला घास को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं वर्ष 2018–19 में इस पर ₹7 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

45. अध्यक्ष महोदय, दुग्ध उत्पादन किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्त्रोत है तथा स्थानीय स्तर पर रोज़गार भी प्रदान करता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोज़गार बढ़ाने तथा दुग्ध उत्पादों का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा **"डेरी उद्यमी विकास योजना"** प्रारम्भ की गई है जिसमें 25 प्रतिशत नाबार्ड उपदान, 25 प्रतिशत किसान का योगदान तथा बैंकों द्वारा 50 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। इस योजना को प्रदेश में बढ़ावा देने हेतु प्रदेश सरकार 10 प्रतिशत अतिरिक्त उपदान प्रदान करेगी जिससे ऋण केवल 40 प्रतिशत ही रह जाएगा। अच्छी नस्ल की देसी गाय खरीदने पर अतिरिक्त उपदान 20 प्रतिशत दिया जाएगा जिससे उनका ऋण केवल 30 प्रतिशत रह जाएगा।

46. पशुपालन विभाग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन–जाति के परिवारों को 50 प्रतिशत उपदान पर दुधारू पशुओं के लिए पशु आहार प्रदान करता है। मूझे यह

घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में पहली बार इस योजना को सामान्य वर्ग के बी0पी0एल0 परिवारों के लिए भी लागू किया जाएगा। अच्छी नस्ल की देसी गाय को पालने वाले बी0पी0एल0 परिवारों को यह सहायता प्रदान की जाएगी। इन कदमों से जीरो बजट प्राकृतिक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए मैं ₹ 4 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

47. प्रदेश में विभिन्न किस्म का बी–फ्लोरा उपलब्ध होने से किसान लम्बे समय से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। बागवानी फसलों के परागण में मधुमक्खियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मधुमक्खी पालन को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए तथा इसके आधुनिकीकरण के लिए मैं नई **"मुख्यमन्त्री मधु विकास योजना"** को शुरू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना में 80 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। मैं इसके लिए **₹**10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

48. गुणवत्ता आधारित ऊन खरीद योजना काफी भेड़पालकों को लाभान्वित कर रही है। मैं सहर्ष ऊन खरीद मूल्य को 2018–19 के लिए 10 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा करता हूँ।

49. अध्यक्ष महोदय, कृषि व बागवानी विभाग उपदान वाली समान याोजनाएं लागू कर रहे हैं जैसे कि ग्रीनहाऊस निर्माण, पॉलीहाऊस नवीनीकरण तथा कृषि/बागवानी यन्त्रीकरण इत्यादि। मैं इन योजनाओं में समान सहायता ढांचे तथा आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु इन विभागों की संयुक्त समिति बनाना प्रस्तावित करता हूँ।

मत्स्य पालन

50. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जलाशय प्रबन्धन में मत्स्य बीज संग्रहण तथा प्रभावी संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। हम 100 ट्राउट रेसवेज़ में 5 लाख ट्राउट बीज का भण्डारण करेंगे। प्रदेश में 11 नई ट्राउट हैचरियों तथा 100 ट्राउट इकाईयों की स्थापना की जाएगी। मछुआरों को उत्पादों के उचित दाम सुनिश्चित करने हेतु मत्स्य बाजार सूचना प्रणाली को केन्द्रीय समुद्री मत्स्य संस्थान कोच्चि के सहयोग से लागू किया जाएगा।

मछुआरों को उचित दाम पर Fish Feed उपलब्ध कराने की दृष्टि से Fish Feed इकाई की स्थापना प्रोत्साहित की जाएगी। इसके लिए ऐसे उद्योगों को सरकारी भूमि 1 प्रतिशत पट्टे पर दी जाएगी तथा यदि इस उद्देश्य के लिए निजी भूमि क्रय की जाती है तो उस पर 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क वसूला जाएगा। साथ ही, यन्त्र तथा मशीनों पर 50 प्रतिशत की

दर से निवेश उपदान दिया जाएगा।

गौवंश संरक्षण

51. अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार गौवंश के संरक्षण तथा संवर्धन हेतु कृतसंकल्प है। सरकार की पहली मन्त्रीमण्डल बैठक में मन्त्रीमण्डल उप–समिति का गठन किया गया जो कि गौवंश संवर्धन के उपाय सुझाएगी। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में **"गौ–सेवा आयोग"** का गठन किया जाएगा। यह आयोग गौवंश संरक्षण की उपयुक्त नीतियाँ तथा इसके विकास के कार्यक्रमों की अनुशंसा करेगा।

प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देसी गाय की नस्ल सुधार व इसके पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन देगी। गोमूत्र आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रतिशत निवेश अनुदान देगी।

52. अध्यक्ष महोदय, हम बेसहारा पशुओं को रखने व पोषण हेतु वर्तमान गौसदनों के सुदृढ़ीकरण तथा नए सदनों को स्थापित करने के लिए स्थानीय लोगों, गैर–सरकारी संस्थाओं, पंचायतों, मन्दिर न्यासों तथा कल्याणकारी संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी प्रोत्साहित करेंगे। मैं गौसदनों के निर्माण, रख–रखाव तथा परिचालन के लिए **"हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान तथा मंदिर न्यास**

अधिनियम" में समुचित संशोधन प्रस्तावित करता हूँ ताकि चढ़ावे का कम से कम 15 प्रतिशत इस उद्देश्य के लिए उपयोग हो सके। इससे लगभग ₹17 करोड़ प्रतिवर्ष गौवंश के विकास के लिए उपलब्ध होगा। मुझे यह घोषणा करते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल ₹1 का गौवंश विकास Cess लगाया जाएगा उससे प्रतिवर्ष लगभग ₹8 करोड़ की प्राप्ति होगी। इससे मिलने वाली धनराशि का उपयोग भी गौशालाओं के रख–रखाव इत्यादि पर किया जाएगा।

पशुओं के पंजीकरण व टैगिंग को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि बेसहारा पशुओं के मालिकों की पहचान हो सके।

गाँव की सार्वजनिक चरागाहों की पहचान की जाएगी ताकि गौसदनों के पंजीकृत पशुओं को बारी–बारी से वहाँ पर चराया जा सके। सरकार गौसदन स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि ₹1 पट्टे पर देगी। इन पशुओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल उस क्षेत्र के पशुपालन विभाग के कर्मी निशुल्क करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं घोषणा करता हूँ कि प्रदेश सरकार बेसहारा पशुओं को महिला मण्डलों द्वारा देखभाल करने

के लिए प्रोत्साहित करेगी। महिला मण्डलों को इसके लिए समुचित अनुदान भी दिया जाएगा। प्रत्येक विकास खण्ड की एक सर्वोत्तम पंचायत, जहां शत–प्रतिशत पशु पंजीकृत हैं व उन पर टैगिंग कायम है, तथा जहां पशु मालिक, पशुओं को नहीं त्यागते हैं, को विकास कार्यों के लिए ₹10 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज

53. अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण भारतीय जनता पार्टी सरकारों की सदैव प्राथमिकता रही है। मैं इस माननीय सदन को याद दिलाना चाहूँगा कि वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी जिसने महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था।

54. भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बाह्य शौच मुक्त राज्य घोषित किया है। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन को लागू करने पर ध्यान देंगे। अब मनरेगा में बेहतर पानी निकासी के लिए सड़क के साथ नालियों व मकानों के साथ छोटे पिट का निर्माण किया जाएगा। अगले पाँच सालों में मनरेगा तथा स्वच्छ भारत के संसाधनों के उपयोग से हम पूरे प्रदेश में ठोस तथा तरल कचरा प्रबन्धन की प्रभावी व्यवस्था स्थापित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में कागज, प्लास्टिक तथा धातु का कचरा खुले में फेंक दिया जाता है क्योंकि इसको एकत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कचरा एकत्रित करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके पिकअप वाहन खरीद पर 33 प्रतिशत उपदान जिसकी उपरी सीमा ₹1.50 लाख होगी, देने की घोषणा करता हूँ।

55. मनरेगा के अन्तर्गत अकुशल कामगार को 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। प्रदेश में सूखे की स्थिति को देखते हुए मैं 2018–19 में रोजगार की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन करने की घोषण करता हूँ ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार मिल सके। अतिरिक्त दिनों पर आए व्यय का वहन प्रदेश सरकार करेगी।

56. मैं स्वयं सहायता समूहों को और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उनके Revolving Fund को ₹25,000 से बढ़ाकर ₹40,000 करना प्रस्तावित करता हूँ।

57. अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमन्त्री आवास योजना में ₹42 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ जिसके अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के BPL परिवारों को आवास सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं

के कारण प्रायः लोगों के आवास पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। मैं सहर्ष घोषणा करता हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त आवासों के पुनर्निमार्ण हेतु धन राशि इस योजना के अन्तर्गत तुरन्त दी जाएगी। प्रदेश सरकार प्रधानमन्त्री आवास योजना तथा कल्याण विभाग द्वारा भी आवास योजनाएं लागू कर रही है। मैं विभिन्न आवास योजनाओं के लिए 2018–19 में ₹150 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय,

''उन घरों में जहां मिट्टी के घड़े रहते हैं,

कद में छोटे हों, मगर लोग बड़े रहते हैं।''

58. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में हर पंचायत का अनूठा इतिहास है और उसमें प्रतिष्ठित व्यक्तिओं ने जन्म लिया है। मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि हर पंचायत में चरणवद्ध एक पंचायत **"ग्राम गौरव पट्ट"** लगाया जाएगा जिसमें उस पंचायत का इतिहास तथा वहाँ पैदा हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम/योगदान होगा। इन गौरव पट्टों का रख–रखाव स्थानीय पंचायतो द्वारा किया जाएगा।

मैं यह भी प्रस्तावित करता हूँ कि प्रदेश की प्रत्येक पंचायत में **"मोक्ष धाम"** चरणवद्ध तरीके से बनाए जाएंगे

ताकि दिवंगत आत्माओं को गरिमा प्रदान की जा सके।

59. 13वें वित्तायोग ने जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को अनुदान आवंटित किया। परन्तु 14वें वित्तायोग ने जिला परिषद तथा पंचायत समितियों का अनुदान बन्द कर दिया। मुझे घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2018–19 में प्रदेश सरकार द्वारा ₹45 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा जिससे जिला परिषद एव पंचायत समिति के सदस्य अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सकें।

पाँचवे राज्य वित्तायोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार ने उसकी अनुशंसा स्वीकार कर ली है। आयोग की अनुशंसा अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को ₹194 करोड़ 2018–19 में हस्तान्तरित किए जाएंगे।

60. अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज प्रतिनिधियों को दी गई जिम्मेदारियों बारे मेरी सरकार पूरी तरह से सजग है। अतः मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा करता हूँ। जिला परिषद अध्यक्ष के मानदेय को ₹8,000 से बढ़ाकर ₹11,000 उपाध्यक्ष का ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,500 तथा जिला परिषद सदस्य

का ₹3,500 से बढ़ाकर ₹4,000 प्रतिमाह किया जाएगा। पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय ₹5,000 से बढ़ाकर ₹6,500, उपाध्यक्ष का ₹3,500 से बढ़ाकर ₹4,500 तथा सदस्य का ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500 प्रतिमाह किया जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रधान का मानदेय ₹3,000 से बढ़ाकर ₹4,000 तथा उप प्रधान का ₹2,200 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रतिमाह किया जाएगा। बैठक में भाग लेने आए सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता ₹240 किया जाएगा। इस वृद्धि से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रतिवर्ष ₹45 करोड़ मानदेय के रूप में प्राप्त होंगे।

61. मैं वर्ष 2018–19 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के लिए ₹1,894 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

वन संरक्षण एवं वनों से रोज़गार

62. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का 66.5 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र वर्गीकृत है।

हम राज्य CAMPA की निधि से अगले 3 वर्षों में 22 वन विहार/इको पार्क स्थापित करेंगे। प्रदेश में इको –पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2018–19 में कम से कम 25 नए इको पर्यटन स्थान आवंटित किए जाएंगे।

प्रदेश के बड़े भू–भाग पर चीड़ के जंगल हैं जिनमें आग लगने की बहुत सम्भावनाएं रहती हैं। अतः इन वनों को आग से बचाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा चीड़ पत्तियों पर आधारित उद्योगों को 50 प्रतिशत निवेश उपदान देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार अपनी आय बढ़ाने की दृष्टि से सभी वन उत्पादों तथा उखड़े पेड़ों के एकत्रीकरण व नीलामी के लिए एक नीति बनाएगी। मुझे यह बताते हुए भी खुशी है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पायलट आधार पर 3 फॉरेस्ट रेंजों में सिल्वीकल्चर एक्सट्रेक्शन (Silviculture extraction) की अनुमति दे दी है।

63. गत् कुछ समय में वन माफिया द्वारा वन कर्मियों पर आक्रमण की घटनाएं हुई हैं। वन कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें उपयुक्त शस्त्र देने की योजना सरकार के विचाराधीन है तथा इसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा।

64. अधिकांश ग्रामीण वनों से जड़ी–बूटियाँ इत्यादि एकत्रित करते हैं जिससे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इनको आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना **"वन समृद्धि, जन समृद्धि"** लाई जाएगी। इसका

मुख्य उद्देश्य इन लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध इस प्रकार के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण(Processing), मूल्य वृद्धि तथा विपणन में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

65. अध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि 2018–19 में वन विभाग में 3 बाह्य सहायता प्राप्त योजनाएं लागू की जाएंगी। JICA द्वारा वित्तपोषित ₹800 करोड़ की लागत वाली HP Forest Eco System Management & Livelihood Improvement परियोजना जिसमें लोगों की आजीविका आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। ₹665 करोड़ की लागत वाली विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित "Integrated Development Project for Source Sustainability & Climate Resilient Rainfed Agricuture" जिसमें कृषि आय बढ़ाने के लिए जल स्त्रोतों को विकसित किया जाएगा। "HP Forest for Prosperity" जिसके अन्तर्गत ईंधन लकड़ी का वृक्षारोपण तथा वन उत्पादों से आय वृद्धि के स्त्रोत बढ़ाए जाएंगे।

अगले वित्तीय वर्ष में बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए ₹125 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

66. अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि वनों के संरक्षण तथा विकास मे स्थानीय भागीदारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

हम युवक मण्डलों तथा महिला मण्डलों की भागीदारी सुदृढ़ करने के लिए उन्हें वन क्षेत्रों में उपयोगी वृक्षों के वृक्षारोपण के लिए भूखण्ड आवंटित करेंगे। इसके लिए मैं एक नई योजना **"सामुदायिक वन संवर्धन योजना"** प्रस्तावित करता हूँ। इसी प्रकार वन भूखण्डों को वृक्षारोपण के लिए स्कूलों को दिया जाएगा जिसके लिए मैं एक नई **"विद्यार्थी वन मित्र योजना"** प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय मैं यहाँ कहना चाहता हूँ:

''इक पेड़ ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए,

जिसका पड़ोसी के आँगन में भी साया जाए।''

मैं वन विभाग के लिए वर्ष 2018–19 में ₹ 651 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

67. हमारी सरकार राज्य में पर्यावरण प्रबन्धन सुविधा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एक नई प्रयोगशाला सुन्दरनगर में भी स्थापित करेगी।

हिमाचल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग को बायो मेडिकल कचरा शोधन संयन्त्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बोर्ड जनता को प्रदूषण स्तर के

बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के 12 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले स्क्रीन भी लगाएगा। हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए 10 शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी उपाय भी सुझाएगा।

68. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सन्तुलित आर्थिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करेगी। राज्य में संचालित उद्योगों का पर्यावरण ऑडिट करवाया जाएगा ताकि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 जिलों में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता को कम करने हेतु ज्ञानवर्धक योजना भी बनाएंगे। ब्यास नदी बेसिन में स्थित कुल्लू, मण्डी, हमीरपुर तथा काँगड़ा की 1,200 पंचायतों के लगभग 7,000 गाँवों में जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता का आकलन भी करेंगे।

सरकार द्वारा आर्यभट्ट जियो इन्फॉर्मेटिक केन्द्र को वर्ष 2011 में प्रारम्भ किया था। हम इस केन्द्र के माध्यम से लोक प्रशासन व नागरिक सेवा को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रथम चरण में लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पर्यटन विभागों के लिए ऑनलाईन निगरानी

प्रणाली विकसित करेंगे।

69. प्रदेश सरकार प्रदेश में विज्ञान ग्राम स्थापित करेगी। विज्ञान ग्राम में स्थानीय कृषकों तथा अन्य समूहों को प्रशिक्षण देकर उनका क्षमता विकास किया जाएगा, जिससे वे कम लागत की वैज्ञानिक, पहाड़ी तकनीकें अपना सकें। चम्बा, कुल्लू, मण्डी, शिमला तथा सिरमौर जिलों के एक–एक गाँव को इसके लिए चयनित किया जाएगा।

हमारी सरकार ने प्रदेश के युवा छात्र एवं छात्राओं में विज्ञान के प्रति रूची बढ़ाने के उद्देश्य से **"युवा विज्ञान पुरस्कार"** प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत राज्य शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं में विज्ञान संकाय में प्रथम 10 उत्कृष्ट छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

सहकारिता

70. अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार सहकारिता आन्दोलन द्वारा कृषकों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि मण्डी तथा सोलन जिलों में "राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम" द्वारा "एकीकृत सहकारिता विकास परियोजना" के द्वितीय चरण का शुभारम्भ किया जाएगा।

शहरी विकास

71. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में कस्बे बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं जिससे इन क्षेत्रों में जन सेवाओं की आवश्यकता में भी वृद्धि हो रही है। शहरी क्षेत्रों में बुनियादि सुविधाएं बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की जा रही है जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन, अम्रुत (Atal Mission for rejuvenation & Urban Transformation) प्रधानमन्त्री आवास योजना– सभी को घर (PMAY-HFA), दीन दयाल अन्तयोदय–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) तथा स्वच्छ भारत मिशन (SBM)।

अध्यक्ष महोदय, यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार ने मई, 2016 में धर्मशाला तथा जून, 2017 में शिमला को ''**स्मार्ट सिटी मिशन**'' के अन्तर्गत चयनित किया है। भारत सरकार ने धर्मशाला ''**स्मार्ट सिटी मिशन**'' के लिए ₹2,110 करोड़ के प्रोजक्ट स्वीकृत किए हैं जिसमें से ₹190 करोड़ पहली किस्त के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इस मिशन के अन्तर्गत शहरी जल आपूर्ति, स्मार्ट स्ट्रीट लाईटिंग, सीवरेज मैनेजमैंट इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार शिमला स्मार्ट सिटी के लिए भी ₹2,905 करोड़ के प्रोजैक्ट का अनुमोदन केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुका है। प्रदेश सरकार ने पहली किस्त के लिए

प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया है जिसकी राशि शीघ्र ही प्राप्त होने की उम्मीद है।

अध्यक्ष महोदय, शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व उत्तम जनसेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सफाई तथा जनसेवाओं में बेहतर सेवा प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकायों को नई **"श्रेष्ठ शहर योजना"** के अन्तर्गत पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ नगर परिषद को ₹1 करोड़ का तथा नगर पंचायत को ₹75 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा करता हूँ।

बद्दी, मण्डी, धर्मशाला, काँगडा तथा मनाली में क्लस्टर आधार पर ठोस कचरा संयन्त्र लगाए जाएंगे।

शहरी सुशासन सुधार के लिए प्रदेश के सभी 54 शहरी स्थानीय निकायों में लोगों के गृह निर्माण प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए ऑनलाईन गृहनिर्माण प्रस्ताव अनुमोदन प्रणाली लागू की जाएगी।

पार्क शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक हैं। नगर पालिका क्षेत्रों में पार्क विकसित करने के लिए मैं शहरी निकायों को 60 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। मैं इसके लिए ₹ 10 करोड़ का

बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

यातायात की भीड़–भाड़ कम करने के लिए पार्किंग का निर्माण निजी जन सहभागिता(PPP) आधार पर किया जाएगा। पार्किंग के निर्माण के लिए हम शहरी स्थानीय निकायों को 50 प्रतिशत का अनुदान भी देंगे। इसके लिए मैं ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

5वें राज्य वित्तायोग की अनुशंसा अनुसार, 2018–19 में शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा ₹122 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।

72. शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों के विविध उत्तरदायित्वों के दृष्टिगत मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का मानदेय ₹3,500 से बढ़ाकर ₹5,000, उपाध्यक्ष का ₹2,800 से बढ़ाकर ₹3,500 तथा सदस्यों का ₹1,500 से बढ़ाकर ₹2,000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय ₹4,000 से बढ़ाकर ₹6,000, उपाध्यक्ष का ₹3,500 से बढ़ाकर ₹5,000 तथा सदस्यों का ₹1,700 से बढ़ाकर ₹2,200 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। शिमला व धर्मशाला के नगर निगम महापौर का मानदेय ₹8,000 से बढ़ाकर ₹11,000, उप–महापौर का

₹6,000 से बढ़ाकर ₹8,000 और पार्षदों का ₹4,000 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ।

मैं 2018–19 में शहरी विकास विभाग के लिए ₹ 487 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

नगर व ग्राम नियोजन

73. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार नगर व ग्राम नियोजन अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर आवासीय परिसरों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा वाणिज्यिक विकास के लिए लैंड पूलिंग को प्रोत्साहित करेगी।

लैंड पूलिंग प्रणाली में भू–मालिक स्वेच्छा से स्वामित्व एक संस्था को हस्तान्तरित करते हैं। यह संस्था सड़क बनाकर व बिजली की सुविधा प्रदान कर भूमि विकसित करती है। यह करने के बाद, भूमि को उसके वास्तविक मालिक को वापिस कर दिया जाता है। क्योंकि भू–भाग पर अब अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती है, इसका मूल्य मालिक के पहले वाले भू–भाग की तुलना में अधिक होता है। इस तरह बिना भू–अधिग्रहण के भी प्रदेश में विकास सम्भव है।

हम अभियन्ताओं व वास्तुकारों जैसे पेशेवरों की निर्देशिका

बनाकर विभागीय वैबसाइट पर आम जनता की सुविधा हेतु डालेंगे ताकि वे अपने नक्शे योग्य एवं दक्ष अभियन्ताओं व वास्तुकारों से बनवा सकें।

भू–प्रशासन

74. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड डिजिटाइज़ हो चुका है तथा अब और आगे बढ़ कर अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने का समय है। विभाग द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिए "National Generic Document Registration System" शुरू किया जाएगा, जिससे प्रदेश के किसी भी राजस्व कार्यालय में रजिस्ट्री की सुविधा उपलब्ध हो सके।

हमारी सरकार **"सरकारी भूमि"** मॉड्यूल का शुभारम्भ करेगी जिसमें जन उपयोग के लिए भूमि शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

75. आपदा प्रबन्धन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं की सम्भावना रहती है। अगर प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी रहती है तो हम प्रदेश आपदा प्रबन्धन निधि से पेयजल, चारा तथा किसानों के लिए खरीद उपदान देंगे।

मैं 2018–19 में आपदा प्रबन्धन के लिए ₹273 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

पेयजल

76. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी कुटुम्बों/घरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। 2011 की जनगणना अनुसार 43.5 प्रतिशत की राष्ट्रीय तुलना में प्रदेश में 89.5 प्रतिशत घरों में शुद्ध पेयजल पहुँच चुका है।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विभागीय जलापूर्ति Schemes से पेयजल निर्धारित समय के दौरान ही उपलब्ध करवाया जाता है। हम चयनित शहरों में पायलट आधार पर 24X7 जल उपलब्ध करवाने के लिए कदम उठाएंगे। वर्तमान में विभाग द्वारा 3,448 पेयजल तथा सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही है। इन्हें दक्षतापूर्वक चलाने के लिए इनका चरणबद्ध रूप से ऑटोमेशन किया जाएगा। पेयजल योजनाओं के लिए मैं 2018–19 के लिए ₹ 275 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शेष आंशिक रूप से बची बस्तियों में पेयजल प्रदान करने के उद्देश्य से एक परियोजना भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय को भेजी गई है। भारत सरकार ने अनुशंसा की है कि प्रथम चरण में इसे New Development Bank(BRICS) द्वारा 100 मिलियन डॉलर के लिए वित्तपोषित किया जाए। हमने 100 मिलियन डॉलर की लागत से 3,150 बस्तियों की

जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए 31 DPR बैंक को प्रस्तुत की हैं।

ऐसी 221 योजनाएं जिन में अब तक 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है को आगामी वर्ष में पूरा करना प्रस्तावित करता हूँ जिसके लिए ₹33 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। इन योजनाओं से 2,040 बस्तियों के 2.76 लाख लोग लाभान्वित होंगे।

77. इस माननीय सदन के सदस्य जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हैंडपम्प द्वारा पेयजल आपूर्ति को 1990 के प्रारम्भ में भाजपा सरकार ने ही लोकप्रिय बनाया था। अब तक कुल 36,901 हैंडपम्प लगाए जा चुके हैं। मैं इसके लिए 2018–19 में ₹ 20 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ कि व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए भी हैंडपम्प 75 प्रतिशत मूल्य पर लगवाए जाएंगे।

78. हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को सस्ती दरों पर पेयजल व सिंचाई सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए मैं जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं के विद्युतभार वहन हेतु सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹500 करोड़ का बजट प्रावधान

प्रस्तावित करता हूँ।

मैं सिंचाई व जन स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल ₹2,572 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

निवेश संवर्धन

79. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार उद्योगों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं तथा पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है क्योंकि ये विकास के इंजन हैं तथा रोजगार भी प्रदान करते हैं। लेकिन अभी निवेशकों को विभिन्न अनुमोदनों हेतु भटकना पड़ता है। हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित पग उठाएगी।

1. **पट्टे पर भूमिः** अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में निवेश व रोजगार बढ़ाने हेतु खाली पड़ी सरकारी भूमि का सदुपयोग किया जाना चाहिए। वर्तमान हिमाचल प्रदेश पट्टा नियम बहुत जटिल हैं तथा निवेश के लिए भूमि पट्टे पर देने में बहुत कठिनाई होती है। अतः अब मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति इन नियमों को जांचेगी तथा इन्हें निवेश के लिए मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित करेगी।
2. **वन संरक्षण अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम**

में अनुमतियाँः ऐसा देखा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम व वन अधिकार अधिनियमों के अन्तर्गत बहुउद्देशीय पन–बिजली तथा पर्यटन परियोजनाओं में अनुमतियाँ लेने में बहुत लम्बा समय लगता है। प्रदेश सरकार इन दोनों अधिनियमों की प्रक्रियाओं को सरल करेगी तथा अनुमतियों की नियमित परिवीक्षा भी करेगी। हम भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत 5 हैक्टेयर तक की शक्तियों के प्रत्यायोजन (Delegation) का मामला उठाएंगे।

3. **"अन्नापत्ति प्रमाणपत्र":** बहुत से निवेशकों ने बताया है कि उन्हें विभिन्न विभागों से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र लेने पड़ते है जिससे कि निवेश तथा रोजगार में विलम्ब होता है। हम अनापत्ति प्रमाणपत्रों की आवश्यकताएं कम करेंगे तथा तय समय सीमा में न दिए जाने की स्थिति में डीम्ड् अनुमति मानने का प्रावधान करेंगे।

4. **हिम प्रगतिः** अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमन्त्री ने ऑनलाइन Monitoring प्रणाली "प्रगति" से अधोसंरचना परियोजनाओं के नियमित Monitoring करके ₹9.46 लाख करोड़ की परियोजनाएं फास्ट

ट्रैक की है। इस पहल से सीखते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार भी ऑनलाइन Monitoring प्रणाली **"हिम प्रगति"** लागू करेगी जहाँ बहुउद्देशीय पन–बिजली, औद्योगिक, पर्यटन तथा अन्य संरचना परियोजनाओं का मेरे द्वारा Monitoring किया जाएगा ताकि सभी विभागों से अनुमतियाँ तथा अनुमोदन शीघ्र प्राप्त हों।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ:

''एक छुपी हुई पहचान रखता हूँ,

बाहर शांत हूँ, भीतर तूफान रखता हूँ।''

उद्योग

80. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार चहुँमुखी, पर्यावरण हितैषी औद्योगिकरण को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। प्रदेश सरकार प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी।

81. अध्यक्ष महोदय, उद्योगों ने H.P. Additional Goods Tax को हटाने/कम करने की माँग की है ताकि उद्योगों को अन्य प्रदेशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सके क्योंकि इस प्रकार का कर अन्य राज्यों में नहीं है। मैंने उनकी इस माँग पर विचार किया तथा यह घोषणा करता

हूँ कि लोहा व स्टील, धागा तथा प्लास्टिक के सामान पर AGT को वर्तमान दर से 25 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा।

मैं यह भी हर्ष के साथ घोषित करता हूँ कि प्रदेश सरकार नए उद्योगों को नियत वर्ष/राशि के लिए तथा वर्तमान उद्योगों को वैट के प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन के बचे समय के लिए नेट State Goods and Services Tax की आंशिक अदायगी के लिए नीति लाएगी।

82. सीमेंट संयन्त्र अधिक संख्या में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं। इसलिए मैं यह घोषणा करता हूँ कि वर्ष 2018–19 में चम्बा जिले के बडोहशिंद में सीमेंट संयन्त्र तथा सिरमौर के नौहराधार में सफेद सीमेंट संयन्त्र के लिए बोली(Bidding) लगाकर उद्यमी को चयनित करने की कार्यवाही की जाएगी।

83. अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक संरचना का निर्माण व रख–रखाव औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित है। कन्दरोड़ी व पंडोगा औद्योगिक क्षेत्रों का कार्य प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। औद्योगिक प्लॉट के लिए भूमि वर्तमान में 30 साल के बदले 90 साल के लिए पट्टे पर दी जाएगी। मैं बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास

प्राधिकरण के लिए ₹35 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मैं बरोटीवाला–मंधाला–परवाणु तथा बरोटीवाला गुनाई परवाणु सड़क को चौड़ा करने के लिए ₹4 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

84. प्रदेश सरकार ने पहले ही खनन् माफिया को समाप्त करने लिए घोषणा कर दी है। इसे सुनिश्चित करने के लिए 2018–19 में सभी खनन् स्थानों को ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक निविदाओं द्वारा आवंटित किया जाएगा।

85. अध्यक्ष महोदय, छोटे तथा मझोले उद्योग अधिक रोजगार प्रदान करते हैं। मैं वर्तमान छोटे उद्योगों पर विद्युत शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तथा मझोले उद्योगों पर विद्युत शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं हर्ष के साथ यह घोषणा करता हूँ कि सभी नए छोटे व मझोले उद्योगों को 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट होगी।

मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि नकारात्मक सूचि में आने वाले उद्योगों को छोड़कर, बाकि सभी नए लघु उद्योगों को 5 वर्ष तक ₹4.50 की दर से विद्युत दी जाएगी।

मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्न्ता हो रही है कि HPSEBL वर्तमान उद्योगों के substantial expansion करने पर, खपत होने वाली अतिरिक्त बिजली व सभी नए उद्योगों को रियायती दर पर बिजली देने के लिए HPERC के समक्ष याचिका दायर करेगा।

मैं कहना चाहता हूँ:

"निकलता है हर सुबह एक नया सूरज,

यह बताने के लिए कि,

उजाले बांट देने से,

उजाले कम नहीं होते।।"

बहुउद्देशीय परियोजनाएं

86. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश की समृद्धि पन–विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र दोहन में ही निहित है। प्रदेश में विकास के लिए पनविद्युत विकास अत्यावश्यक है। 27,000 मेगावाट की कुल दोहन क्षमता में से 20,912 मेगावाट पहले ही विभिन्न क्षेत्रों को आवंटित किया जा चुका है। अगले वर्ष 182 मेगावाट की पनविद्युत परियोजनाओं प्रारम्भ करने का लक्ष्य है।

87. ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 15 मेगावाट की क्षमता जोड़ी जाएगी। प्रदेश सरकार ग्रिड से जुड़े छत पर

लगे ऊर्जा संयन्त्रों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाएगी जिससे उपभोक्ताओं का बिजली बिल कम हो सके। मैं इस पहल को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थियों को 10 प्रतिशत KWp अधिकतम ₹4,000 प्रति KWp की सहायता प्रदेश सरकार की ओर से देना प्रस्तावित करता हूँ।

88. प्रदेश में पनविद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन धीमा हो गया है। प्रदेश सरकार इनके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए उत्सुक है। प्रदेश सरकार पनविद्युत नीति में संशोधन कर इस नीति को स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक हितैषी बनाएगी। पन विद्युत परियोजनाओं की बढ़ती लागत, अनुमतियों में देरी तथा विद्युत निकासी में आने वाली कठिनाईयों के मद्देनजर पनविद्युत नीति में संशोधन आवश्यक है। अतः प्रदेश सरकार सभी हितधारकों से चर्चा कर अगले 3 महीनों में पनविद्युत नीति में समुचित बदलाव लाएगी।

89. हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड ने प्रदेश के सुदूर कोनों में प्रत्येक घर में बिजली पहुँचाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। मैं, ग्रामीण क्षेत्रों में वोलटेज सुधार के लिए हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड को ₹50 करोड़ ईक्विटी के रूप में देना प्रस्तावित करता हूँ।

माननीय सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कम वोलटेज की समस्या का मुद्दा उठाया था। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड इस समस्या के समाधान के लिए प्रदेश भर में प्रणाली सुदृढ़ीकरण का कार्य करेगा।

मैं सहर्ष प्रदेश के घरेलु तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत उपदान के लिए ₹475 करोड़ प्रस्तावित करता हूँ।

मैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं तथा ऊर्जा विभाग के लिए कुल ₹1,219 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

पर्यटन का विस्तार

90. हमारी सरकार पर्यटन के सतत् विकास के लिए वचनबद्ध है। वर्ष 2017 में लगभग 2 करोड़ पर्यटकों का हिमाचल में आगमन हुआ। हमारी रणनीति उच्च श्रेणी पर्यटकों को बढ़ाने की होगी न कि हम केवल प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई पर्यटकों की संख्या से संतुष्ट होंगे।

पर्यटन महत्व के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के स्थलों में आधारभूत अधोसंरचना में विशेष सुधार किया जाएगा। इस उद्देश्य से हमारी सरकार एशियन विकास बैंक (ADB) परियोजना के द्वितीय चरण में नए क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना के विकास हेतु एक विशेष प्रस्ताव

वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को भेजेगी।

हम स्थानीय युवाओं में रोजगार बढ़ाने हेतु पर्यटकों को अनछुए क्षेत्रों में भी भेजने की योजना पर विशेष बल देंगे। मैं इसके लिए एक नई योजना **"नई राहें नई मंजिलें"** प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना से चयनित अनछुए क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, पार्किंग एवं मूलभूत सुविधाओं की संरचना की जाएगी। मैं वर्ष 2018–19 में इस योजना के लिए ₹50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। सरकार इन स्थानों पर बड़े पर्यटक आराम/मनोरंजन रिजॉर्ट, स्की/साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ, इको पर्यटक पार्क, रज्जु मार्ग इत्यादि स्थापित करना प्रोत्साहित करेगी। ऐसी सभी परियोजनाओं को एकल खिड़की के माध्यम से शीघ्रतापूर्वक अनुमोदित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय मैं यहां पर आदणीय एवं परम्प्रिय पूर्व प्रधानमन्त्री अटल जी को उद्धृत करना चाहता हूँ:

''टूटे हुए तारों से फूटे वासन्ती स्वर,

पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,

झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात,

प्राची में अरूणिमा की रेख देख पाता हूँ,

गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।।''

91. उच्च श्रेणी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कनेक्टिविटी, विशेष कर हवाई कनेक्टिविटी का हम सुधार करेंगे। हेली–टैक्सी सेवा के लिए हेली–टैक्सी मार्गों की पहचान की जाएगी। हम चण्डीगढ़ से शिमला एवं शिमला से राज्य के अन्य भागों के लिए हेली–टैक्सी सेवा प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाएंगे। उड़ान–2 योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त हेलीपैडों का निर्माण किया जाएगा।

92. अध्यक्ष महोदय, राज्य में धार्मिक पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं है। हिमाचल वास्तव में सभी धर्मों को एक करने का केन्द्र है। हम धार्मिक पर्यटन स्थलों पर पार्किंग, स्वच्छ शौचालय, कैफेटेरिया तथा यात्री निवास सुविधा उपलब्ध कराएंगे। **"स्वदेश दर्शन कार्यक्रम"** के अन्तर्गत भारत सरकार को ₹100 करोड़ की परियोजना, **"धार्मिक सर्किट"** की अधोसंरचना विकसित करने के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

93. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्राकृतिक तथा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देगी। 26 वन्य जीवन अभ्यारण, तीन

संरक्षण रिजर्व, अद्वितीय राष्ट्रीय पार्क तथा 400 वन विश्राम गृह के साथ राज्य में Trekking, Rafting, बर्ड वॉचिंग, पर्वतारोहण, जल क्रीड़ा तथा सम्बन्धित खेल की अपार सम्भावनाएं हैं। ईको पर्यटन तथा होम स्टे आगे की सम्भावनाएं हैं।

प्रदेश सरकार पौंग, कोल, भाखड़ा बान्धों के जलाशयों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करेगी। जहाँ पर जल–क्रीड़ा तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ विकसित की जाएगी। पानी के नए जलाशयों को विकसित करने के लिए तथा जल–क्रीड़ाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजना बनाएगी। तत्तापानी में जल–क्रीड़ा, स्थान के सौन्दर्यकरण, घाट बनाने के कार्य एवं गर्म पानी के स्त्रोतों को विकसित किया जाएगा।

94. हम रज्जु मार्ग को बनाने पर जोर देंगे ताकि प्राकृतिक सुन्दरता वाले स्थानों में वाहनों की आवाजाही कम से कम हो। BJP सरकार ने पिछले कार्यकाल में पंजाब सरकार से समझौता कर आनंदपुर साहिब से नैना देवी का रोपवे प्रस्तावित किया था। परन्तु काँग्रेस सरकार ने उस समझौते को 2013 में रद्द कर कहा था कि हम शीघ्र ही स्वयं इस रोपवे को आरम्भ करेंगे। परन्तु पिछले 5 वर्ष में इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम अब पुनः इस रोपवे

को पंजाब के साथ बनाने के लिए प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त हम धर्मकोट से त्रियूँड, जंजैहली से शिकारी माता व अन्य पर्यटन स्थलों पर भी रोपवे लगाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

95. हम विभाग की वेबसाइट को विकसित और अद्यतन करेंगे और वर्ष 2018–19 में पर्यटकों के लिए सभी सूचनाओं वाला मोबाईल ऐप्प प्रारम्भ करेंगे।

हम युवाओं को होम स्टे, पाक कला, संचार और विपणन, व्यवहारकुशलता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण आदि पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हम ट्रेकिंग गाइडों, पर्यटन गाइडों एवं टैक्सी ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेंगे। हम पर्यटक स्थलों में अधिक मनोरंजन गतिविधियों को प्रारंम्भ करेंगे ताकि पर्यटक अधिक दिनों तक निवास कर सकें।

रोजगार एवं कौशल विकास

96. वर्तमान सरकार का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवा वर्ग को आजीविका उपलब्ध कराने तथा उद्यम को बढ़ावा देने का है। स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने के लिए व युवाओं को स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध करवाने के मैं एक नई योजना **"मुख्यमन्त्री स्वावलम्बन योजना"** का शुभारम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के

अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी :–

1. उद्योग में ₹40 लाख तक के निवेश पर संयन्त्र/मशीनरी के निवेश पर 25 प्रतिशत पूँजी उपदान दिया जाएगा। युवतियों/महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 30 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा।
2. ₹40 लाख के ऋण पर 3 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत ब्याज उपदान।
3. सरकारी भूमि को 1 प्रतिशत की दर पर पट्टा दिया जाएगा। पट्टे पर भूमि देने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।
4. युवा अगर निजी भूमि खरीदना चाहता है तो स्टैम्प ड्यूटी को वर्तमान 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की दर से देय होगी।

अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ:

''सोचने से कहां मिलते हैं, तमन्ना के शहर।

चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए।।''

इस योजना के लिए ₹80 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएं हैं परन्तु सेवा तथा व्यापार क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कोई योजना नहीं है। सेवा तथा व्यापार क्षेत्र में रोज़गार की अपार सम्भावनाएं हैं। अतः मैं इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई योजना **"मुख्यमन्त्री युवा आजीविका योजना"** प्रारम्भ करने की घोषणा करता हूँ। इसमें खुदरा व्यापार/दुकान, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर, साहसिक पर्यटन, परम्परागत शिल्प इत्यादि कार्य शामिल होंगे। जिसके लिए 18 से 35 वर्ष के बीच के हिमाचली युवाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

1. ₹30 लाख तक की राशि तक, भूमि व मकान को छोड़कर किए निवेश पर 25 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा जबकि महिला उद्यमियों के लिए उपदान 30 प्रतिशत होगा।
2. ₹30 लाख तक के ऋण पर 3 वर्षों के लिए, 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।
3. व्यापार तथा सेवा कार्य आरम्भ करने हेतु भूमि तथा

भवन के क्रय पर स्टैम्प ड्यूटी को वर्तमान 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत की दर से ली जाएगी।

इस योजना के लिए वर्ष 2018–19 में ₹75 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ:

''वही हकदार हैं किनारों के,

जो बदल दें बहाव धारों के।''

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में उद्यमशीलता की भावना उत्पन्न करने की आवश्यकता है जिससे उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने में आत्मविश्वास मिले। राज्य सरकार द्वारा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए **"उद्यम विकास कार्यक्रम"** आयोजित किए जाएंगे। राज्य सरकार बैंको के साथ संयुक्त रूप से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में ऐसे पाठ्यक्रम लागू करेगी।

97. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार कौशल विकास को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने हेतु काफी महत्व देती है। वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार **"दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना"** को ₹77 करोड़ की लागत से लागू

करेगी। राज्य सरकार, एशियन विकास बैंक द्वारा पोषित कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 65 हजार युवाओं को कौशल प्रदान कर रोजगार दिलाएगी। मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार ने **"प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना"** में ₹21.56 करोड़ की पहली किस्त प्राप्त कर ली है। इस योजना के अन्तर्गत 49,500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार सम्बन्धी कौशल प्रदान किया जाएगा।

मैं कहना चाहता हूँ:

''वो खुद ही तय करते है मंजिल आसमानों की,

परिन्दों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की।।''

98. राज्य सरकार द्वारा हिमाचली युवाओं के कौशल विकास हेतु कौशल विकास भत्ता दिया जाता रहेगा। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल के युवाओं में बेरोजगारी का एक कारण उन का अंग्रेजी में संवाद नहीं कर पाना भी है। राज्य सरकार अंग्रेजी भाषा बोलने हेतु प्रशिक्षण के लिए अच्छी संस्थाओं को सूचीबद्ध करेगी।

मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि राज्य सरकार ऐसे सभी युवाओं को जो उद्योगों में रोजगार प्राप्त करेंगे को, 2 वर्ष तक यह कौशल विकास भत्ता देती रहेगी। मैं कौशल

विकास भत्ते के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

99. हम अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दिव्यांग एकल महिला, विधवा एवं परित्यक्त नारियों को रोजगार दिलाने के लिए उन का कौशल प्रशिक्षण करवाएंगे। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के उन विद्यार्थियों को, जिन की पारिवारिक आय ₹3 लाख वार्षिक से कम है, को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रशिक्षण एवं निशुल्क कोचिंग दिलाएंगे। हम दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोजगार एवं प्रशिक्षण अवसरों के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाएंगे।

बेरोजगारी भत्ता

100. अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा था कि वे हिमाचल प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन वे अपनी घोषणा पूरी करने में बुरी तरह विफल रहे। यह भत्ता केवल 21,000 युवाओं को आखिरी तीन महीनों में दिया गया।

श्रम तथा रोज़गार

101. अध्यक्ष महोदय, श्रम कानून के अंतर्गत संस्थान के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी

गई है। मैं सभी रोजगार केन्द्रों को **"कौशल पहचान केन्द्र तथा आदर्श कैरियर परामर्श केन्द्र"** के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखता हूँ। बेरोजगार युवाओं को परामर्श देने से रोजगार एवं प्लेसमेंट के अवसर बढ़ेंगे। कौशल युक्त लोगों को, रोजगार मेले एवं कैम्पस साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाएगा। हम सभी जिलों एवं खण्डों में ऐसे रोजगार मेले एवं कैम्पस साक्षात्कार करवाएंगे।

परिवहन

102. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में रेल, हवाई एवं जल परिवहन सेवा का कम विस्तार हुआ है। राज्य में सड़क ही परिवहन का मुख्य साधन है। हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य के दूर–दराज क्षेत्रों तक परिवहन की सुविधा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2018–19 में हिमाचल पथ परिवहन निगम को अनुदान एवं इक्विटी के रूप में ₹300 करोड़ प्रस्तावित करता हूँ जो पिछले बजट में ₹265 करोड़ था।

103. अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न लोक सेवाएं लागू करेगा। हम RTO तथा RLA कार्यालयों में POS मशीनें स्थापित करेंगे जिससे विभिन्न करों व फीसों

की अदायगी के लिए कैश लेस सुविधा उपलब्ध हो। हिमाचल पथ परिवहन निगम, बसों में **"स्वाईप/टैप मशीन"** लगवाएगी जिससे भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश कार्ड के माध्यम से हो पाएगा तथा यात्रियों को भुगतान करने में कठिनाई नहीं आएगी। पास धारकों/छूट प्राप्त श्रेणियों को हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किये जाएंगे ताकि राज्य सरकार, कार्डों द्वारा बसों के उपयोग के आधार पर सहायता अनुदान जारी कर सके।

अध्यक्ष महोदय, सड़क द्वारा यात्रा करने वाले यात्री विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बिना इस जानकारी के कि बस कब आएगी, बस का इन्तजार कई घण्टों तक करते रहते हैं। मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि सभी बस अड्डों पर तथा चुने हुए बस स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड लगाऐ जाएगें, जहाँ उस मार्ग पर आने वाली अगली बस का समय दिखाया जाएगा।

104. अध्यक्ष महोदय, कई राज्यों में नए वाहनों का पंजीकरण डीलर प्वाईंट पर ही हो जाता है तथा उपभोक्ता को परिवहन विभाग तक नहीं जाना पड़ता। राज्य सरकार डीलर प्वाईंट पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक सॉफ्टवेयर का शुभारम्भ करेगी। टोकन कर, पंजीकरण

शुल्क, ग्रीन टैक्स, डीलर द्वारा साईबर कोष के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराया जाएगा तथा पूरे दस्तावेज पंजीकरण अधिकारी के पास डीलर द्वारा नम्बर जारी करने के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

चुने हुए नम्बरों के लिए एक निश्चित राशि तय कर e-Auction/Bidding की जाएगी।

e-way bill की तरह ऑनलाईन चेक पोस्ट जैसे समाधान प्रयोग में लाए जाएंगे जिससे प्रदेश में आने वाली पर्यटकों की गाड़ियों को Composite शुल्क के भुगतान के लिए

उन्हें बैरियर पर रूकना ना पड़े।

105. अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे स्थानीय युवाओं को परिवहन क्षेत्र, विशेषकर सड़क परिवहन में रोजगार के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। मैं वर्ष 2018–19 में बेरोजगार युवाओं के लिए 1500 नए बस परमिट जारी करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

हम बस अड्डों में सर्वोत्तम सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं बस अड्डों के निर्माण हेतु Bus Stand Management and Development Authority के लिए अतिरिक्त ₹17 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूँ।

मैं बस अड्डों में शौचालय ब्लॉक निर्माण हेतु ₹3 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ। इन शौचालय ब्लॉकों के संचालन का कार्य प्रतिष्ठित संस्थानों को दिया जाएगा।

बुनियादी ढाँचे का सुदृढ़ीकरण

106. हमारी सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता देती है। भारत सरकार ने राज्य के 69 राष्ट्रीय राजमार्गों को मंजूरी प्रदान की है जिसके लिए राज्य के लोग केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यद्यपि भारत सरकार ने वर्ष 2016 में ही राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा कर दी थी लेकिन DPR की तैयारी के लिए सलाहकारों की नियुक्ति हेतु कदम नहीं उठाए गए। दिसम्बर, 2017 तक केवल 8 सड़कों के लिए ही सलाहकार नियुक्त किए गए। हमारी सरकार यह प्रयास करेगी कि सभी सड़कों के लिए इस माह के अन्त तक सलाहकार नियुक्त हो जाए ताकि DPR तैयार करने का कार्य त्वरित गति से हो सके।

107. अध्यक्ष महोदय, ₹9,040 करोड़ की लागत से फोरलेन बनाने का कार्य दो राष्ट्रीय राजमार्गों परवाणु से शिमला तथा कीरतपुर से मनाली निर्माणाधीन है। हाल में भारत सरकार ने तीन अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग बद्दी से नालागढ़, पठानकोट से मण्डी, शिमला से मटौर को NHAI को सौंप

दिया है। बद्दी से नालागढ़, चक्की से सिहुनी तथा ज्वालामुखी से काँगड़ा को फोरलेन बनाने हेतु निविदाऐं आमन्त्रित की जा चुकी हैं।

108. वर्ष 2000–2001 में प्रधानमन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेई के गतिशील नेतृत्व में **"प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना"** का शुभारम्भ किया गया था जिसके अन्तर्गत ग्रामीण बस्तियों को हर मौसम में प्रभावी सड़क से जोड़ा जाता है। इस योजना से हिमाचल प्रदेश को अत्यधिक लाभ हुआ है तथा ₹2,919 करोड़ की लागत से आज तक 2,238 सड़कें तैयार कर ली गई है।

109. अध्यक्ष महोदय, बजट योजना बैठक मे अधिकतर विधायकों ने सड़कों की दयनीय अवस्था का मुद्दा उठाया था। मैं उन से सहमत हूँ। सड़कों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मैं तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके अतिरिक्त मुख्यमन्त्री कार्यालय के अधीन एक स्वतन्त्र गुणवत्ता परीक्षण स्क्वैड(Independent Quality Check Squad) का गठन किया जाएगा जो सभी प्रकार के निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट सीधे मुख्यमन्त्री कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। मुझे आशा है कि उपरोक्त कदम से प्रदेश

में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाएगी।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2018–19 में राज्य की वर्तमान सड़कों की टारिंग का लक्ष्य 1785 किलोमीटर से बढ़ाकर 2,500 किलोमीटर करता हूँ जो लगभग 40 प्रतिशत अधिक है। सड़कों के रख–रखाव के लिए वर्तमान सरकार ने हाल ही में ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राशि दी है तथा वर्ष 2018–19 में भी सड़कों के रख–रखाव हेतु ₹100 करोड़ की अतिरिक्त राशि आवंटित करने का प्रावधान है। मैं सड़कों के रख–रखाव के लिए एक अलग निधि बनाना भी प्रस्तावित करता हूँ।

राईडिंग की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने OPBMC(Output and Performance Based Maintenance contract) नामक पायलट परियोजना आरम्भ की थी। इस रख–रखाव व्यवस्था के अन्तर्गत 347 किलोमीटर सड़कें हैं। अगले वित्त वर्ष में 350 किलोमीटर के अतिरिक्त मार्ग इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव रखता हूँ।

जल निकास (Cross Drainage एवं Side Drainage) के अभाव में सड़कों की स्थिति खराब हो जाती है। मैं एक

नई योजना "Himachal Road Improvement Scheme" आरम्भ करने की घोषणा करता हूँ जिसके अन्तर्गत वर्तमान सड़कों के Cross Drainage में कमी को दूर किया जाएगा। वर्ष 2018–19 के लिए मैं ₹50 करोड़ का बजट प्रस्तावित करता हूँ। सभी नई सड़कों में Cross Drainage करना अनिवार्य होगा।

110. दूरियों को कम करने के लिए सुरंगों के निर्माण की बहुत आवश्यकता है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय राज मार्ग–305 पर जलोड़ी दर्रे के नीचे सैंज–लूहरी–औट मार्ग पर एक सुरंग बनाने हेतु भारत सरकार से मामला उठाया है इस सुरंग की लम्बाई लगभग 4.2 किलोमीटर होगी।

अध्यक्ष महोदय, बहुत से यूरोपिय देशों में हिमाचल प्रदेश से अधिक बर्फ पड़ती है। सड़कों से मशीनों द्वारा बर्फ को हटाकर खुला रखा जाता है। प्रदेश सरकार साच, जलोड़ी, खड़ापत्थर तथा सीमा सड़क संगठन की अनुमति से रोहतांग दर्रे को सर्दियों में भी खुला रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमन्त्रित करेगी।

111. विश्व बैंक से पोषण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को HP State Road Project-II नामक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। HP State Road Project-II के अन्तर्गत

650 किलोमीटर के प्रमुख जिला मार्गों का उन्नयन किया जाएगा तथा 1350 किलोमीटर सड़क मार्गों पर समय–समय पर रख–रखाव तथा अन्य संस्थागत विकास कार्य किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार से लगभग ₹720 करोड़ की राशि की Tranche-I of Phase-II योजना का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। विश्व बैंक ने परियोजना की प्रारम्भिक गतिविधियों के लिए लगभग ₹22 करोड़ अनुमोदित कर दिए हैं।

112. हमारी सरकार सड़क सुरक्षा को अत्यन्त प्राथमिकता देती है। हमारी सरकार ने तृतीय पक्ष निरीक्षण के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रमुख पुलों की सुरक्षा लेखा परीक्षण कराने का निर्णय लिया है।

राज्य सरकार को 108 एम्बुलैंस सेवा चलाने वाली एजेंसी ने सूचना दी है कि राज्य में 697 दुर्घटना सम्भावित स्थल हैं। वर्ष 2018–19 में इन चिन्हित स्थलों पर सड़क की Alignment, साइन बोर्ड, रेलिंग इत्यादि लगाने के लिए ₹50 करोड़ के बजट राशि का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं **मुख्यमन्त्री सड़क योजना** के अन्तर्गत गाँवों/बस्तिओं को शीघ्रता से सड़क से जोड़ने के लिए ₹50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मैं 2018–19 में 600 किलोमीटर सड़कें तथा 35 पुलों के निर्माण का प्रस्ताव करता हूँ। 1100 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया जाएगा तथा 750 किलोमीटर सड़कों में जल–निकासी का कार्य पूर्ण किया जाएगा।

मैं वर्ष 2018–19 में लोक निर्माण विभाग के लिए ₹4,082 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

113. अध्यक्ष महोदय, रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए वर्ष 2018–19 में रेलवे के बजट में ₹422 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। इसे चार रेलवे लाईन–नंगल डैम–तलवाड़ा, चण्डीगढ़ बद्दी, भानुपल्ली–बिलासपुर तथा ऊना–हमीरपुर रेलवे लाइन पर खर्च किया जाएगा।

114. अध्यक्ष महोदय, अधोसंरचना के निर्माण व सेवाओं के प्रदान के लिए Pubic Private Partnership (PPP) एक अच्छा तरीका है। हम प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि पर पार्किंग व व्यवसायिक परिसर बनाकर, नगर निकायों की आमदनी बढ़ाएंगे। हम पुलों, सुरंगों व वैक्लिपिक सड़कों को भी PPP में बनवाने का प्रयास करेंगे । हम सड़क के साथ बने Bus Stop को भी PPP के तहत् बनवाएंगे। अस्पतालों में अच्छी Diagnostic सुविधा देने के लिए उच्च मूल्य के उपकरणों को PPP

पर लगवाने के लिए कदम उठाएंगे।

आबकारी एवं कराधान

115. अध्यक्ष महोदय, VAT एवं CST के बहुत से मामले निर्धारण के लिए शेष हैं। डीलरों के हित के लिए हम "The Himachal Pradesh Settlement of Pending Assessment Cases Bill" 2018 लाएंगे जिससे VAT एवं CST इत्यादि के बचे हुए मामलों का निर्धारण किया जा सकेगा।

116. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने Himachal Pradesh Beverages Limited को बन्द करने तथा शराब की विक्री हेतु पुरानी थोक बिक्री व्यवस्था को बहाल करने का निर्णय लिया है ताकि शराब की थोक आपूर्ति में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। एल–1 डी और एल–13 डी लाइसैंन्स धारकों की अवांछित प्रणाली को बन्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आबकारी कार्यों पर प्रभावी निगरानी के लिए उत्पादन से खपत तक पूरी श्रृंखला हेतु एक कम्प्यूट्रीकृत व्यवस्था लागू की जाएगी।

117. राज्य के व्यापारियों की GST में पंजीकरण की सीमा हिमाचल प्रदेश के लिए ₹10 लाख से ₹20 लाख तक करने की भारी माँग पर हमने यह मामला GST Council के समक्ष उठाया है तथा उम्मीद है कि व्यापारियों की यह

माँग GST Council द्वारा शीघ्र मान ली जाएगी।

गुणात्मक शिक्षा

118. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं। सरकार के समक्ष सब से बड़ी चुनौती शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है।

इसके लिए, सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में समुचित अधोसंरचना उपलब्ध कराएगी। 2137 सरकारी उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास रूम से सुसज्जित किया गया है। अतः अब पढ़ाने के लिए Multimedia Teaching Aids का उपयोग किया जाएगा। सरकार स्कूलों में पढ़ाने/बोलचाल के कौशल को बढ़ाने के लिए 36 भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी। प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा नियत परिमाणों के आधार पर किया जाएगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए DIET तथा SCERT को अधिक प्रासंगिक बनाया जाएगा। योग पाठ्यक्रम SCERT की सहायता से तैयार किया जाएगा। विभाग द्वारा विद्यालयों में "Joy of Learning" Session चलाए जाएंगे ताकि शिक्षण ज्ञान बढ़ाया जा सके।

मुझे घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार शिक्षकों के स्थानान्तरण तथा पदभार सम्भालने हेतु एक

ठोस तथा पारदर्शी स्थानान्तरण नीति बनाएगी।

भारत सरकार ने, वर्ष 2018–19 के बजट में, सभी ऐसे खण्डों में जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जन–जाति जनसंख्या है, में "Eklavya Model Residential School" स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। राज्य सरकार, भारत सरकार से ऐसे विद्यालयों को हिमाचल में शीघ्र खोलने हेतु मामला उठाएगी।

119. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए पाठशाला में सभी बुनियादी सुविधाएं होना आवश्यक है। हमारी सरकार एक नई योजना **"मुख्यमन्त्री आदर्श विद्या केन्द्र"** प्रारम्भ करेगी। इस योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से सभी विधानसभा क्षेत्रों में, जहाँ नवोदय विद्याालय या एकलव्य विद्यालय नहीं हैं वहाँ पर, एक आदर्श Residential विद्यालय स्थापित करेगी। इसमें सभी सुविधाओं के साथ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध होगी। प्रथम चरण में ऐसे 10 आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए मैं ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान

प्रस्तावित करता हूँ।

120. अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थी नई किताबों को खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं। साथ ही वे एक कक्षा में पास होने पर उस कक्षा की किताबें फैंक देते हैं तथा अगले वर्ष के लिए नई किताबें खरीदते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में परीक्षा की समाप्ति से अगले दिन को **"पुस्तक दान दिवस"** मनाने की घोषणा करता हूँ। इस दिन बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थी निचली कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपनी पुस्तकें देंगे ताकि निचली कक्षा के विद्यार्थियों का पुस्तकें खरीदने का पैसा बच सके।

121. अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार ने वर्ष 2011 में **"अटल वर्दी योजना"** आरम्भ की थी जिसमें छात्रों को प्रति वर्ष 2 वर्दियाँ दी जाती थीं। मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि इस योजना के अन्तर्गत अब पहली, तीसरी, छठी तथा 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक स्कूल बैग भी दिया जाएगा।

122. युवाओं की जिज्ञासा एवं रचनात्मकता बढ़ाने हेतु भारत सरकार के "अटल ईनोवेशन मिशन" के अन्तर्गत चुने हुए विद्यालयों में "Atal Tinkering Labs" स्थापित किए जाएंगे, जहाँ विद्यार्थी उपकरण एवं औजारों के माध्यम से

विज्ञान, तकनीकी, अभियान्त्रिकी तथा गणित (STEM-Science Technology Engineering and Maths) को समझेंगे।

राज्य सरकार माह में एक दिन "Bag Free Day" घोषित करेगी ताकि सभी विद्यालयों में उपरोक्त दिन में केवल सह पाठ्यक्रम गतिविधियाँ ही संचालित की जाएं।

123. सरकारी विद्यालयों के उन छात्रों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने जीवन में एक मुकाम प्राप्त किया हो एक नई योजना **"अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती"** आरम्भ की जाएगी। इस योजना में स्थानीय लोगों एवं ग्राम पंचायत को शामिल किया जाएगा।

124. अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रतिभाशाली छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराना बहुत महत्वपूर्ण है। 10+2 विद्यार्थियों को JEE MAINS, NEET तथा उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग की आवश्यकता होती है। साथ ही, महाविद्यालय से निकले हुए छात्रों को रोजगार आधारित प्रतियोगिता परीक्षा जैसे सिविल सेवा की तैयारी की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए मैं एक नई **"मेधा प्रोत्साहन योजना"** प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखता हूँ। जिसके अन्तर्गत राज्य में अथवा राज्य

से बाहर कोचिंग के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मैं ₹5 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ:

''नन्हीं सी चींटी जब दाना लेकर चलती है,

चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है,

आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।।''

125. मुझे घोषणा करने में हर्ष का अनुभव हो रहा है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ₹110 करोड़ का अनुदान देगी। यह देश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले प्रति छात्र अनुदान में सर्वाधिक है।

मैं वर्ष 2018–19 में शिक्षा विभाग के लिए ₹7,044 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

तकनीकी शिक्षा

126. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक औद्योगिक प्रशिक्षण काफी महत्वपूर्ण हैं। हिमाचल में 124 सरकारी तथा 148 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं

जिनमें क्रमशः 25,449 एवं 22,335 विद्यार्थियों के प्रवेश की क्षमता हैं।

राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की 696 सीटें हैं जो कि राष्ट्रीय औसत 212 सीटों से बहुत अधिक है।

उद्योगों के कौशल आवश्यकता हेतु इस क्षेत्र का निजी क्षेत्र के साथ समन्वय आवश्यक है। कौशल में कमी को दूर करने के लिए हमारी सरकार तकनीकी पाठ्यक्रमों को इस प्रकार से परिवर्तित करेगी ताकि विद्यार्थियों को श्रम बाजार की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण मिल सके।

आगामी कुछ महीनों में रैहन में नए बहुतकनीकी संस्थान का कार्य ₹25 करोड़ की लागत से आरम्भ किया जाएगा।

मैं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए ₹ 229 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

भाषा कला एवं संस्कृति

127. हमारी सरकार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है। हम समृद्ध हिमाचली विरासत के बारे में अवगत कराने के लिए छोटे सांस्कृतिक स्मृति चिन्ह, बनाना प्रारम्भ करेंगे। हम प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा तैयार की गई कला–वस्तुओं

की बिक्री/प्रदर्शनी हेतु प्रदेश के विभिन्न भागों में शिल्प ग्राम मेलों का आयोजन करेंगे।

विद्यार्थियों, अनुसन्धान कर्ताओं के लाभ के लिए विभाग द्वारा विलुप्त होती पाण्डूलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों को Digitise किया जाएगा तथा एक डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई योजना **"आज पुरानी राहों से"** को लागू करने की घोषणा करता हूँ। इसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की, स्मृतियों, ऐतिहासिक घटनाओं तथा विलुप्त/अनछुई सांस्कृतिक धरोहरों/विरासतों को सास्कृतिक/Heritage गाईड के माध्यम से बताया जाएगा जिससे सांस्कृतिक पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा और, साथ ही प्रदेश की संस्कृति को धरोहर के रूप में संजोए रखना सम्भव होगा।

मैं, ऐसे जिला मुख्यालयों में जहाँ इन्डोर सभागृह की सुविधा उपलब्ध नहीं है इन सभागृहों के निर्माण के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

राज्य की संस्कृति तथा साहित्य को संजोए रखने के लिए प्रसिद्ध साहित्यकार एवं कलाकर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं। वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कवियों/लेखकों/

साहित्कारों को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दैनिक भत्तों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करने हेतु एक नई योजना **"देव भूमि दर्शन"** प्रारम्भ की जाएगी।

युवा सेवाएं एवं खेल

128. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार राज्य में राष्ट्रीय स्तर के खेल–कूद की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे राज्य में उच्च स्तरीय खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएंगी ताकि उभरते हुए खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारा जा सके। मैं ऐसे जिलों में जहाँ यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, बहुउद्देशीय इन्डोर कॉमप्लेक्स के निर्माण हेतु ₹15 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

"मुख्यमन्त्री खेल विकास योजना" के अन्तर्गत राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल का मैदान विकसित करेगी। इस उद्देश्य के लिए मैं ₹6.80 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मैं राज्य में विद्यमान खेल–कूद सुविधाओं के पुनरूद्धार हेतु ₹ 2 करोड़ का बजट प्रावधान भी प्रस्तावित करता

हूँ।

सूचना एवं जन–सम्पर्क

129. अध्यक्ष महोदय, समाज के लिए पत्रकार, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। **"हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण योजना"** के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में, सेवारत एवं सेवानिवृत मान्यताप्राप्त पत्रकारों को आपातकालीन चिकित्सा राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2.50 लाख करना प्रस्तावित है। सभी मान्यताप्राप्त पत्रकार इस सुविधा को प्राप्त कर सकें, इसके लिए मैं वर्तमान में निर्धारित ₹1.80 लाख प्रतिवर्ष की आय सीमा को हटाना प्रस्तावित करता हूँ।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा

130. अध्यक्ष महोदय, मैं यह सूचित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि भारत सरकार ने जिला बिलासपुर के कोठीपुरा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए ₹1,351 करोड़ की मंजूरी प्रदान कर दी है। **"प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम"** के अन्तर्गत उत्तर भारत में स्थापित किया जाने वाला सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान होगा।

131. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में, निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी। मुझे एक नई **"स्वास्थ्य में सहभागिता**

योजना" की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है। इसके अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति/चिकित्सक, चुने हुए ग्रामीण क्षेत्र में एलोपैथिक निजी अस्पताल स्थापित करता है तो उसे ₹1 करोड़ तक के निवेश पर 25 प्रतिशत निवेश उपदान तथा तीन वर्षों तक 5 प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जाएगा।

132. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 4,83,693 परिवार पंजीकृत हैं जिनको 30,000 तक Basic पैकेज में, ₹1,75,000 क्रिटिकल देखरेख पैकेज तथा ₹2,25,000 कैंसर मरीजों के लिए कैशलैस उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। "Mukhya Mantri State Health Care Scheme" में RSBY की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme के अन्तर्गत अन्य परिवारों को भी शामिल किया गया है जिसमें प्रीमियम ₹365 प्रति वर्ष है।

अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट में महत्त्वाकाँक्षी **"राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना"** की शुरूआत करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत Secondary और Tertiary देखभाल अस्पताल में भर्ती के

लिए प्रति परिवार, ₹ 5 लाख प्रति वर्ष तक की स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी Health Care योजना होगी।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार **"मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना"** के लाभार्थियों को भी, भारत सरकार की तर्ज पर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। यह योजना उपयुक्त प्रीमियम के साथ "Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme" के लाभार्थियों के लिए भी लागू की जाएगी।

133. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश को सभी राज्यों में सबसे स्वस्थ प्रदेश बनाना चाहती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक **"मुख्यमन्त्री निरोग योजना"** स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण के अन्तर्गत Random Blood Sugar परीक्षण, रक्तचाप परीक्षण, दृष्टि जाँच तथा अन्य लैब परीक्षण किए जाएंगे। इससे आरम्भिक अवस्था में ही सम्भावित समस्याओं के बारे में पता लग जाएगा तथा शीघ्र निदान एवं चिकित्सा मिलने से लम्बी अवधि तक रहने वाली बीमारियों से बचाव होगा।

134. अध्यक्ष महोदय, **"निःशुल्क दवा नीति"** के अन्तर्गत हम 66

दवाएं निःशुल्क दे रहे थे। अब निःशुल्क दवाओं की संख्या को 330 तक बढ़ाया जाएगा। मैं इस उद्देश्य के लिए ₹50 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। हम 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क हेमोफिलिया तथा इन्सुलिन की दवाएं भी प्रदान करेंगे।

गत वर्ष में सम्पन्न हुआ मिज़ल और रूवेला की बीमारियों की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान एक अनुकरणीय सफलता है। वर्तमान में टीकाकरण की प्रतिशतता 95 है। इसे अगले वर्ष बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रयास किया जाएगा।

135. अध्यक्ष महोदय, बच्चे हमारे भविष्य हैं तथा उन का स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। वर्तमान में सभी माताओं को Institutional Deliveries के लिए ₹700 की राशि दी जाती है। मुझे एक नई योजना **"मुख्यमन्त्री आशीर्वाद योजना"** की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है जिसके अन्तर्गत उपरोक्त राशि के अतिरिक्त, अस्पताल में जन्में सभी नवजात शिशुओं को ₹1,500 मूल्य का **"नव आगन्तुक"** किट भी दी जाएगी। इससे लगभग 1 लाख नए नवजातों को प्रत्येक वर्ष लाभ मिलेगा। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2018–19 के लिए मैं ₹15 करोड़ का बजट

प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मैं कहना चाहता हूँ:

"तुम अपने पास रखो, अपनी रोशनी का हिसाब।
मुझे तो आखिरी घर तक दीया जलाना है।।"

किशोरावस्था में लड़कियों के व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए सैनिटरी नैपकिन आवश्यक हैं। मुझे घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 10+2 तक की सभी छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन पैकेट वर्तमान में ₹5 प्रति पैकेट से घटाकर ₹1 प्रति पैकेट की दर से उपलब्ध कराये जाएंगे। इन्हें आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा वितरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए मैं ₹4 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

136. अध्यक्ष महोदय, IGMC प्रदेश का सर्वोच्च आयुर्विज्ञान संस्थान है परन्तु यहाँ पर गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके कारण मरीजों को राज्य के बाहर जा कर धन व्यय करना पड़ता है। मुझे घोषणा करने में हर्ष हो रहा है कि आगामी वर्ष में IGMC में भी गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ष 2018–19 में इस उद्देश्य के लिए ₹4 करोड़ का बजट

प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 108 Ambulance Service रोगियों के लाने ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन Ambulances के Operational Expenditure की पूर्ति के लिए मैं शराब पर प्रति बोतल ₹ 1 का Cess लगाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे लगभग ₹8 करोड़ इस कार्य के लिए उपलब्ध होंगे।

टेलीमैडीसन के माध्यम से प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा न्यून्तम खर्च पर उपलब्ध कराई जा सकती है। मैं प्रदेश के दूर–दराज के 50 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों को टेलीमैडीसन के अन्तर्गत लाने की घोषणा करता हूँ।

वर्तमान में केलाँग, काजा तथा पूह में टेली–मैडिसिन कार्यक्रम चल रहा है, मैं पाँगी को भी इस योजना में लाना प्रस्तावित करता हूँ।

137. अध्यक्ष महोदय, राज्य के जरूरतमंद, गरीब लोग जो गम्भीर बीमारियों से पीड़ित हैं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मैं **"मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष"** का गठन करने का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके लिए मैं वर्ष 2018–19 में ₹10 करोड़ का बजट

प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। इस कोष से अनुदान देने के लिए नियम शीघ्र ही तैयार किए जाएंगे।

138. अध्यक्ष महोदय, तम्बाकू का सेवन कैंसर का प्रमुख कारण है। हम हिमाचल प्रदेश में **"तम्बाकू मुक्त संस्थान कार्यक्रम"** के द्वारा जागरूकता अभियान चलाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एवं सचिवालय परिसर को तम्बाकू रहित बनाना प्रस्तावित है। यह परामर्श तथा अन्य उपायों से किया जाएगा जिससे यह अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के लिए भी मार्गदर्शक बन सकें।

मैं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ₹2,302 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ। मैं सूचित करना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश का स्वास्थ्य बजट देश के सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक स्वास्थ्य बजट है।

आयुर्वेद

139. आयुर्वैदिक औषधीय जड़ी–बूटियों की स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत मांग है तथा इनके commercial उत्पादन से कृषकों की आय बढ़ने की बहुत सम्भावनाएं हैं। विभाग इन जड़ी–बूटियों के विप्णन के लिए किसानों का देश की प्रमुख फार्मेसियों के मध्य सम्पर्क स्थापित करवाएगा।

विभाग प्रदेश के 3 चयनित ब्लॉकों करसोग, कसौली व

ठियोग में अनीमिया की रोकथाम हेतु पायलट परियोजना आरम्भ करेगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पोषण मिशन को इस वर्ष चम्बा, हमीरपुर, सोलन तथा शिमला में लागू किया जाएगा।

मैं आयुर्वेद विभाग के लिए ₹263 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

महिला तथा बाल विकास

140. अध्यक्ष महोदय, पिछले कल हमने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। मैं इस अवसर पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूँ।

मुझे एक नई व्यापक **"सशक्त महिला योजना"** की घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है। यह योजना महिला मण्डलों में "सशक्त स्त्री केन्द्र" स्थापित करके चलाई जाएगी। इन केन्द्रों पर ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना व उन्हें प्रशिक्षित कर सशक्त करना होगा। यह केन्द्र किशोरियों को personal hygine तथा आत्मसम्मान बढ़ाने के विषयों पर भी जागरूक करेंगे।

हमारी सरकार लिंग–भेद को कम करने के लिए दृढ़संकल्प है। इसके लिए मैं केवल एक या दो बेटियों वाले परिवारों का "स्वास्थ्य बीमा योजना" के अन्तर्गत क्रिटिकल केयर पैकेज ₹1,75,000 से बढ़ाकर ₹2,50,000

करना प्रस्तावित करता हूँ। अतिरिक्त ₹75,000 केवल बालिकाओं को देय होगा। इससे बालिकाओं को और अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

141. अध्यक्ष महोदय, **"मदर टेरेसा मातृ आश्रय सम्बल योजना"** के अन्तर्गत प्रदेश सरकार दो बच्चों वाली परित्यक्ता/विधवाओं को ₹4,000 प्रतिवर्ष प्रति बच्चा सहायता देती है। मैं इसे बढ़ाकर ₹5,000 करना प्रस्तावित करता हूँ। जिसके लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

प्रदेश सरकार **"बेटी है अनमोल"** के अन्तर्गत BPL परिवारों में कन्या जन्म पर ₹10,000 प्रदान करती है। मैं इसे बढ़ाकर ₹12,000 करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं इस योजना के लिए ₹ 12 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ:

''शर्त लगी थी खुशियों को एक लफ्ज़ में लिखने की

वो किताब ढूँढते रह गए, मैने ''बेटी'' लिख दिया ।''

कमजोर वर्गों

142. अध्यक्ष महोदय, भाजपा सरकार समाज के सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों के उत्थान में विश्वास रखती है।

का कल्याण

हमारी पिछली सरकार ने योजना बजट में अनुसूचित जातियों की जनगणना अनुरूप अनुसूचित जाति उप–योजना आरम्भ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। मैं 2018–19 के लिए अनुसूचित जाति उप–योजना के लिए ₹1,583 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ।

143. प्रदेश सरकार विभिन्न पेंशन योजनाओं में 4 लाख से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान कर रही है। मैं इस पेंशन को ₹750 प्रतिमाह करने की सहर्ष घोषणा करता हूँ। मैं 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर ₹1,300 करना प्रस्तावित करता हूँ।

मैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए ₹600 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मैं यह कहना चाहूँगाः

''ज्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं जिन्दगी तुझ से,

बस मेरा हर कदम, पिछले से बेहतर हो।।''

144. दिव्यांगों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित

करने के लिए, मैं दिव्यांगों की वर्तमान छात्रवृति को 25 प्रतिशत की दर से बढ़ाना प्रस्तावित करता हूँ।

145. वयोवृद्ध नागरिकों के सम्मान में, मैं प्रदेश के कुछ स्थानों पर **"वरिष्ठ नागरिक सुविधा केन्द्र"** खोलना प्रस्तावित करता हूँ जिनमें वृद्धों की देखभाल के लिए उपचर्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ये केन्द्र गैर सरकारी संस्थानों द्वारा चलाए जाएंगे तथा प्रदेश सरकार उन्हें अनुदान प्रदान करेगी।

अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहता हूँ:

''देखना कभी नम न हों घर के बुजुर्गों की आँखें,

छत से पानी टपके तो दीवारें कमजोर होती हैं।''

जन–जातीय विकास

146. जन–जातीय विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं अगले वित्त वर्ष में जन–जातीय उप–योजना के लिए ₹567 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ जो कि कुल राज्य योजना का 9 प्रतिशत है। इस राशि को किन्नौर, लाहौल स्पिति, पांगी तथा भरमौर के 5 जन–जातीय क्षेत्रों की विकेन्द्रीकृत योजनाओं की प्राथमिकताओं के अनुरूप सिंचाई, बागवानी तथा सब्जी उत्पादन, सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल

योजना इत्यादि पर खर्च किया जाएगा।

मैं जन–जातीय क्षेत्रों के लिए गैर योजना को सम्मिलित करते हुए ₹1620 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

पूर्व सैनिक तथा स्वतन्त्रता सेनानी कल्याण

147. अध्यक्ष महोदय, पूर्व सैनिकों, कार्यरत सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं, शौर्य युद्धवीरता पुरस्कार विजेताओं का कल्याण वर्तमान सरकार का प्रमुख ध्येय है।

पिछली सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को अनुमोदित सैन्य सेवा के लिए मिलने वाले वित्तीय लाभ बंद करने का निर्णय लिया था। हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाले इन लाभों को बहाल कर दिया है।

प्रदेश सरकार सेना में शहीदों के आश्रितों को करूणाामूलक आधार पर रोज़गार प्रदान करती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यह लाभ अर्धसैनिक बलों में हिमाचली शहीदों के आश्रितों को भी दिया जाएगा।

गृह/कानून व्यवस्था

148. गुड़िया प्रकरण के कारण पुलिस की साख बहुत गिर गई थी। यह प्रकरण बहुत शर्मनाक था। इसलिए हमारा ध्यान महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर निगरानी, वन, खनन तथा ड्रग माफिया पर कठोर कार्रवाई तथा यातायात की दुर्घटनाओं में कमी पर होगा। हमारी सरकार महिलाओं

की सुरक्षा के लिए प्रभावी पग उठाएगी। बालिकाओं को, छेड़छाड़ करने वालों तथा असामाजिक तत्त्वों से निपटने हेतु, सशक्त करने तथा उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से, हम सभी सरकारी स्कूलों में आत्मरक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।

149. मैं 2018–19 में सोलन हमीरपुर तथा चम्बा जिलों में एक–एक महिला पुलिस थाना खोलना प्रस्तावित करता हूँ।

150. हाल ही में फिंगरप्रिंट ब्यूरो को फॉरेंसिक साईंस लैब में स्थानान्तरित किया गया है जिससे इस कार्य में वैज्ञानिक कुशाग्रता आएगी तथा इस कार्य को अधिक कुशलता तथा पेशेवर तरीके से किया जा सकेगा। प्रदेश अपनी स्वचलित Finger Print Identification प्रणाली व लाइव स्कैनर खरीदेगा। इससे अपराधियों का डाटा बनाया जा सकेगा। मैं इसके लिए ₹2 करोड़ का बजट आवंटन प्रस्तावित करता हूँ। प्रदेश में यातायात उलंघन का मौके पर ही निपटारा /compound करने के लिए e-challan प्रणाली को पायलट आधार पर आरम्भ किया जाएगा।

वर्ष 2018–19 में पुलिस आवासों के लिए ₹40 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

मैं गृह विभाग जिसमें पुलिस, गृह रक्षक, अग्निशमन तथा कारागार शामिल हैं, के लिए ₹1,430 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

कोष

151. प्रदेश सरकार विश्व बैंक द्वारा ₹240 करोड़ की वित्तपोषित एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन क्षमता वर्धन परियोजना लागू कर रही है। हम सरकारी कार्यालयों के बिजली, पानी और टैलीफोन के बिलों के सीधे भुगतान हेतु इसे ई–बिल प्रणाली से जोड़ेंगे। हम ई–सेलरी में कर्मचारियों का आधार नम्बर भी डालेंगे ताकि कर्मचारियों के सभी भुगतान बिना गलती के नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उनके खातों में चले जाएं।

असंगठित संस्थाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा

152. मेरी सरकार "अटल पेंशन योजना" के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में सभी को पेंशन दिलाने का प्रयास करेगी। अटल पेंशन योजना में 31 मार्च, 2019 तक नांमाकित हुए सभी अंशदायियों को प्रदेश सरकार की ओर से अंशदायी के अंश का 50 प्रतिशत या ₹2,000 तक का अंश, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। मैं 2018–19 में इस योजना के लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

कर्मचारी व

153. अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी प्रदेश सरकार की रीढ़ हैं। राज्य

पेंशनर कल्याण

सरकार ने अनुबन्ध महिला कर्मचारियों की मातृत्व अवकाश 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई, 2017 से 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता जारी किया है। हमने नियमित कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 1 जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत की दर से अन्तरिम राहत भी जारी की है जिससे इन्हें ₹700 करोड़ का अतिरिक्त लाभ हुआ है। प्रदेश में किसी भी नई सरकार ने कार्यालय के पहले 2 महीनों में कर्मचारियों को इतने वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए हैं।

मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि नियमित सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों को उनके मूल वेतन/मूल पेंशन पर 1 जुलाई, 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अन्तरिम सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें ₹260 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा। ये अन्तरिम राहत भविष्य में होने वाले वेतन/पेंशन संशोधन में समायोजित की जाएगी। मुझे विश्वास है कि इस निर्णय से सभी कर्मचारी व पेंशनर प्रसन्न होंगे। अनुबन्ध कर्मचारियों को वेतन में मूल+ग्रेड पे तथा ग्रेड पे का 75 प्रतिशत दिया जाता है। मैं सहर्ष यह घोषणा करता हूँ कि 2018–19 में अनुबन्ध कर्मचारियों को मूल वेतन व ग्रेड पे का दोगुना वेतन स्वरूप प्रदान किया

जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं पार्ट टाईम वाटर कैरियर का मानदेय ₹1,900 से बढ़ाकर ₹2,200 प्रतिमाह करना प्रस्तावित करता हूँ। Mid Day Meal Workers को भारत सरकार द्वारा ₹1000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार उन्हें अतिरिक्त ₹500 की राशि दे रही है मैं उसे बढ़ाकर ₹800 प्रतिमाह करना प्रस्तावित करता हूँ। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि SMC अध्यापकों का पारिश्रमिक 20 प्रतिशत प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा।

आशा कार्यकर्त्ताओं को उनके कार्यकलापों के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मैं उन्हें राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹1,000 को बढ़ाकर ₹1,250 करना प्रस्तावित करता हूँ। ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायकों को भारत सरकार द्वारा ICDS योजना के अन्तर्गत मानदेय दिया जाता है। अब मैं यह प्रस्तावित करता हूँ कि ऑगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की ओर से ₹1,750 अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा जिससे उनका कुल मानदेय ₹4,750 हो जाएगा। ऑगनबाड़ी सहायक को राज्य सरकार से अब ₹900 अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा जिससे उनका कुल

मानदेय ₹2,400 प्रतिमाह हो जाएगा। मैं जल रक्षकों का मानदेय ₹1,700 प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹2,100 प्रतिमाह करना प्रस्तावित करता हूँ।

दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी ₹210 प्रतिदिन है। मैं सहर्ष इसे बढ़ाकर ₹225 प्रतिदिन करता हूँ जिससे ऐसे कर्मियों को ₹450 मासिक का लाभ होगा।

मैं कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए ₹ 65 करोड़ तथा रख–रखाव के लिए ₹ 25 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूँ।

हमारी सरकार मन्त्री मण्डल की प्रत्येक बैठक में कार्यमूलक (Functional)पदों को भरने का निर्णय ले रही है। मैं माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि हम सभी सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरेंगे।

बजट अनुमान

154. अध्यक्ष महोदय, अब मैं 2018–19 के बृहद् बजट अनुमानों तथा 2017–18 के संशोधित अनुमानों पर आता हूँ। वर्ष 2017–18 के संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 1.93 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा 5.46 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2018–19 में राजस्व घाटा 2.09 प्रतिशत तथा वित्तीय घाटा सकल

घरेलू उत्पाद का 5.16 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। FRBM अधिनियम की आवश्यकता के अनुरूप मैं वर्ष 2018–19 से 2021–22 की अवधि के लिए प्रदेश सरकार की मध्यावधि वित्तीय योजना अलग से प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस मान्य सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है।

155. वर्ष 2018–19 के लिए कुल ₹ 41,440 करोड़ का बजट व्यय अनुमानित है। वेतन पर अनुमानित व्यय ₹11,263 करोड़, पैंशन पर ₹5,893 करोड़, ब्याज अदायगी पर अनुमानित व्यय ₹4,260 करोड़, ऋणों की वापसी पर ₹3,184 करोड़ तथा अन्य ऋणों पर ₹ 448 करोड़ एवं रख–रखाव पर ₹ 2,741 करोड़ का व्यय अनुमानित है।

156. वर्ष 2018–19 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹30,400 करोड़ तथा कुल राजस्व व्यय ₹ 33,568 करोड़ अनुमानित है, जिससे ₹3,168 करोड़ का राजस्व घाटा होगा। सरकार के पूँजी खाते में ₹6,540 करोड़ तथा लोक लेखा में भविष्य निधि इत्यादि में ₹1,225 करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं। ऋण की

अदायगी सहित कुल पूँजी व्यय ₹7,872 करोड़ रहने का अनुमान है। वर्ष 2018–19 में वित्तीय घाटा ₹7,821 करोड़ रहने का अनुमान है।

157. इस प्रकार बजट अनुमानों के अनुसार, प्रति ₹ 100 व्यय के मुकाबले, ऋण को छोड़कर, केन्द्र से प्राप्त धनराशि सहित प्रदेश की कुल प्राप्तियां ₹73.36 होगी। ₹26.64 के इस अन्तर को ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रदेश की राजस्व आय के प्रति ₹100 में से ₹27.13 कर राजस्व, ₹6.52 गैर कर राजस्व, ₹21.01 केन्द्रीय कर में हिस्सेदारी तथा ₹45.34 केन्द्रीय अनुदान द्वारा प्राप्त होंगे। व्यय किए गए प्रति ₹100 में से, वेतन पर ₹27.18, पैंशन पर ₹14.22, ब्याज अदायगी पर ₹10.28, ऋण अदायगी पर ₹8.76, जबकि शेष ₹39.56 विकास कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किये जाएंगे।

158. अब मैं बजट के मुख्य सारांश प्रस्तुत कर रहा हूँ ।

- भारतीय जनता पार्टी के "दृष्टि पत्र" को वर्तमान सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए मार्गदर्शक अभिलेख माना जाएगा ।
- वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु

सीमा को, बिना किसी आय सीमा के, 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया।

- **"गुड़िया"** और **"होशियार सिंह"** हेल्पलाइन तथा शक्ति ऐप का शुभारम्भ किया गया।
- नई **"मुख्यमंत्री लोक भवन"** योजना आरम्भ की गई जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में ₹30 लाख की लागत से ''लोक भवन'' बनेंगे।
- **"विधायक क्षेत्र विकास निधि"** के अन्तर्गत राशि को बढ़ाकर ₹ 1.25 करोड़ किया गया।
- विधायकों की विवेक अनुदान राशि को बढ़ाकर ₹7 लाख किया गया।
- लोक निर्माण व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में Works Management Information System (WMIS) लागू किया जाएगा।
- नई **"ई–स्टैम्पिंग"** योजना आरम्भ की जाएगी।
- ₹ 5 लाख से अधिक की निविदाओं को e-procurement Portal के माध्यम से जारी किया जाएगा।
- राज्य खाद्य उपदान योजना में ₹220 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य

से नई **"हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना"** आरम्भ की जाएगी।

- ₹1,134 करोड़ की लागत वाली विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित **"बागवानी विकास परियोजना"** पर वर्ष 2018–19 में ₹100 करोड़ व्यय किए जाएंगे।
- अगले पांच वर्षों में कमान्द विकास के लिए ₹ 500 करोड़ व्यय किए जाएंगे। वर्ष 2018–19 में ₹130 करोड़ का बजट प्रावधान।
- लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत ₹277 करोड़ व्यय किए जाएंगे।
- मध्यम सिंचाई योजनाओं पर ₹85 करोड़ व्यय किए जाएंगे।
- नई योजना "**जल से कृषि को बल**" के अन्तर्गत आगामी पांच वर्षों में ₹250 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- नई "Flow Irrigation Scheme" के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में ₹150 करोड़ का व्यय किए जाएंगे।
- नई **"सौर सिंचाई योजना"** के अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में ₹200 करोड़ व्यय करने की घोषणा।
- कृषकों को सिंचाई के लिए बिजली की वर्तमान दर

₹1 प्रति युनिट से घटाकर 75 पैसे प्रति युनिट की जाएगी।

- 2018–19 से सेब, अन्य फलों तथा सब्जियों को H. P. Certain Goods Carried by Roads कर से पूर्ण रूप से छूट दी जाएगी।
- नई योजना **"प्राकृतिक खेती, खुशहाल किसान"** 25 करोड़ के बजट प्रावधान से प्रारम्भ करने की घोषणा।
- जैविक कीटनाशक संयन्त्र की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत निवेश उपदान देने की घोषणा।
- **"कृषि उपकरण सुविधा केन्द्रों"** की स्थापना के लिए मशीनरी पर 40 प्रतिशत उपदान।
- कृषकों/बागवानों को पॉवर वीडर तथा पॉवर टिल्लर तथा अन्य उपकरणों पर उपदान हेतु ₹32 करोड़ का बजट प्रावधान ।
- "Anti Hailnet" पर उपदान के लिए बजट ₹2.27 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया।
- नई **"बागवानी सुरक्षा योजना"** के अन्तर्गत एन्टी–हेलगन लगाने के लिए 60 प्रतिशत उपदान प्रदान करने के लिए ₹10 करोड़ का बजट

प्रावधान।

- **"मुख्यमन्त्री खेत संरक्षण योजना"** के अन्तर्गत सौर बाड़ को सामूहिक तौर पर लगाने पर 85 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। ₹35 करोड़ का बजट प्रावधान।
- JICA फसल विविधिकरण योजना के द्वितीय चरण को ₹1,000 करोड़ की लागत से सभी जिलों में लागू किया जाएगा।
- 10 करोड़ की लागत से **"हिमाचल पुष्प क्रान्ति योजना"** का शुभारम्भ।
- **"प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना"** तथा **"मौसम आधारित बीमा योजना"** के लिए ₹29 करोड़ का बजट प्रावधान।
- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना द्वारा नई मण्डियों के उन्नयन करने एवं खोलने पर ₹150 करोड़ का व्यय प्रस्तावित।
- सहकारी दुग्ध संघों को दुग्ध एकत्रीकरण एवं वितरण की प्रतिपूर्ति हेतु ₹1 प्रति–लीटर की दर से भाड़ा उपदान की घोषणा।
- दूध खरीद मूल्य को ₹1 प्रति–लीटर बढ़ाने की

घोषणा।

- **"डेरी उद्यमी विकास योजना"** के अन्तर्गत अतिरिक्त 10 व 20 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा।
- अच्छी नस्ल की दुधारू देसी गाय के लिए पशु आहार पर सामान्य वर्ग के बी0पी0एल0 परिवारों के लिए भी 50 प्रतिशत उपदान की घोषणा।
- नई **"मुख्यमन्त्री मधु विकास योजना"** के अन्तर्गत 80 प्रतिशत उपदान देने के लिए ₹10 करोड़ का बजट प्रावधान।
- Fish Feed ईकाई की स्थापना के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर छूट तथा यन्त्र तथा मशीनों पर 50 प्रतिशत निवेश उपदान।
- **"गौसेवा आयोग"** के गठन की घोषणा।
- **"हिमाचल प्रदेश धार्मिक संस्थान तथा मंदिर न्यास अधिनियम"** में संशोधन करके चढ़ावे का 15 प्रतिशत गौ–सदनों के निर्माण, रख–रखाव तथा परिचालन के लिए व्यय करने का प्रस्ताव।
- शराब पर प्रति बोतल गौवंश विकास Cess जिससे ₹ 8 करोड़ प्राप्त होंगे।
- गौसदन स्थापित करने के लिए सरकारी भूमि ₹1 पट्टे पर देने की घोषणा।

- बेसहारा पशु रहित पंचायत को ₹10 लाख का पुरस्कार देने की घोषणा।
- प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त आवासों के पुनर्निमार्ण हेतु मुख्यमन्त्री आवास योजना से धन राशि प्रदान करने की घोषणा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा एकत्रित करने वालों को प्रोत्साहित करने के पिकअप वाहन खरीद पर 33 प्रतिशत उपदान।
- हर पंचायत में एक **"ग्राम गौरव पट्ट"** लगाया जाएगा।
- सूखे की स्थिति को देखते हुए मनरेगा में 100 दिनों के बदले 120 दिनों का रोजगार प्रस्तावित।
- प्रत्येक पंचायत में **"मोक्ष धाम"** चरणवद्ध तरीके से बनाए जाएंगे।
- जिला परिषद एव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 45 करोड़ का बजट प्रावधान।
- पाँचवे राज्य वित्तायोग की अनुशंसा अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को ₹194 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
- पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।

- आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई योजना **"वन समृद्धि, जन समृद्धि"** लाई जाएगी।
- वन्य क्षेत्र में बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए ₹125 करोड़ का बजट प्रावधान।
- नई **"सामुदायिक वन संवर्धन योजना"** प्रारम्भ करने की घोषणा।
- नई **"विद्यार्थी वन मित्र योजना"** प्रस्तावित ।
- युवा छात्रों में विज्ञान के प्रति रूची बढ़ाने के उद्देश्य से **"युवा विज्ञान पुरस्कार"**।
- **नई "श्रेष्ठ शहर योजना"** के अन्तर्गत पुरस्कार देने की घोषणा।
- शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए "National Generic Document Registration System" द्वारा "कहीं भी रजिस्ट्री" सेवा का प्रस्ताव।
- व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए हैण्डपम्प 75 प्रतिशत मूल्य पर लगवाए जाएंगे।
- जलापूर्ति व सिंचाई योजनाओं के विद्युतभार वहन हेतु ₹500 करोड़ का बजट प्रावधान।

- निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा।
- Investment व Infrastructure progress की moniroting के लिए **"हिम प्रगति"** आरम्भ की जाएगी।
- उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए नेट SGST की समुचित अदायगी के लिए नीति बनाई जाएगी।
- चम्बा के बडोहशिंद तथा सिरमौर के नौहराधार में सीमेण्ट संयन्त्र लगाने की कार्यवाही।
- बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के लिए ₹ 35 करोड़ का बजट प्रावधान।
- बरोटीवाला–मंधला–परवाणु तथा बरोटीवाला गुनाई परवाणु सड़क को चौड़ा करने के लिए ₹4 करोड़ का बजट प्रावधान।
- औद्योगिक प्लॉट के लिए भूमि वर्तमान में 30 वर्ष के स्थान पर 90 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी।
- छोटे उद्योगों पर विद्युत शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तथा मझोले उद्योगों पर 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत।
- सभी नए छोटे व मझोले उद्योगों को 5 वर्ष तक विद्युत शुल्क से छूट होगी।

- पनविद्युत योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए नीति में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
- वोल्टेज सुधार के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को ₹50 करोड़ ईक्विटी देना प्रस्तावित।
- घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत उपदान के लिए ₹475 करोड़ की राशि प्रस्तावित।
- पर्यटन के अनछुए क्षेत्रों के विकास के लिए नई योजना **"नई राहें नई मंजिलें"** 50 करोड़ के बजट के साथ प्रारम्भ करने की घोषणा।
- ADB परियोजना के द्वितीय चरण में नए क्षेत्रों में पर्यटन अधोसंरचना के विकास हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
- हेली–टैक्सी सेवा प्रारम्भ करने के लिए कदम उठाए जाएंगे तथा अतिरिक्त हैलीपैडों का निर्माण किया जाएगा।
- स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत **धार्मिक सर्किट** की अधोसंरचना विकसित करने के लिए ₹100 करोड़ की परियोजना केन्द्र सरकार भेजी जाएगी।
- धार्मिक व साहिसक पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा।

- पौंग, कोल, भाखड़ा बान्धों के जलाशयों में जल–क्रीड़ा तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियाँ विकसित की जाएगी।
- तत्तापानी में जल–क्रीड़ा, स्थान के सौन्दर्यकरण, घाट एवं गर्म पानी के स्त्रोतों को विकसित किया जाएगा।
- पंजाब सरकार से समझौता कर आनन्दपुर साहिब से नैना देवी रोपवे के लिए प्रयास किए जाएंगे।
- धर्मकोट से त्रियूँड, जंजैहली से शिकारी माता व अन्य पर्यटन स्थलों पर रोपवे लगाने के प्रयास किए जाएंगे।
- पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेंगे।
- युवाओं को उद्योगों में स्वरोज़गार हेतु नई **"मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना"** का 80 करोड़ बजट प्रावधान के साथ शुभारम्भ।
- 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के हिमाचली युवाओं को Trade व Services में स्वरोजगार हेतु नई **"मुख्यमन्त्री युवा आजीविका योजना"** का 75 करोड़ बजट प्रावधान के साथ शुभारम्भ।
- युवाओं में Entreprenureship के विकास के लिए

"उद्यम विकास कार्यक्रम" आयोजित किए जाएंगे।

- **"दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना"** को ₹77 करोड़ की लागत से लागू किया जाएगा।
- कौशल विकास भत्ते के लिए ₹100 करोड़ का बजट प्रावधान।
- हिमाचल पथ परिवहन निगम को अनुदान एवं इक्विटी के रूप में ₹300 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
- सभी बस अड्डों तथा चुने हुए बस स्टॉप पर इलेक्ट्रॉनिक डिसप्ले बोर्ड लगाए जाएंगें, जहाँ प्रत्येक मार्ग पर आने वाली बस का समय दिखाया जाएगा।
- बस अड्डों व वहां पर शौचालय ब्लॉक के निर्माण हेतु अतिरिक्त ₹20 करोड़ का प्रावधान।
- सभी सरकारी निर्माणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली व मुख्यमन्त्री कार्यालय के अधीन स्वतन्त्र निगरानी स्क्वैड बनेगा।
- 2,500 किलोमीटर सड़कों की टारिंग का लक्ष्य निर्धारित। रख–रखाव के लिए पिछले वर्ष से 2018. 19 में 100 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान।
- नई योजना "Himachal Road Improvement

Scheme" के अन्तर्गत सड़कों के Cross Drainage के लिए ₹50 करोड़ बजट प्रावधान।

- साच, जलोड़ी, खड़ापत्थर तथा रोहतांग दर्रे को सर्दियों में भी खुला रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
- दुर्घटना सम्भावित स्थलों (Black Spots) पर सड़क की Alignment, साइन बोर्ड, रेलिंग लगाने के लिए ₹50 करोड़ का बजट प्रावधान।
- मुख्यमन्त्री सड़क योजना में ₹50 करोड़ का बजट प्रावधान।
- डीलरों के हित के लिए "The Himachal Pradesh Settlement of Pending Assessment Cases Bill" 2018 प्रस्तुत किया जाएगा।
- शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु पारदर्शी स्थानान्तरण नीति तैयार की जाएगी।
- नई योजना **"मुख्यमन्त्री आदर्श विद्या केन्द्र"** की घोषणा जिसके तहत 10 आवासीय विद्यालय बनेंगे। ₹ 25 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- **"अटल वर्दी योजना"** के अन्तर्गत वर्दी के साथ पहली, तीसरी, छठी तथा 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक स्कूल बैग देने की घोषणा।

- चुने हुए विद्यालयों में "Atal Tinkering Labs" स्थापित किए जाएंगे।
- नई योजना **"अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती"** आरम्भ की जाएगी।
- छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए नई **"मेधा प्रोत्साहन योजना"** प्रारम्भ करने की घोषणा।
- हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को ₹110 करोड़ का अनुदान की घोषणा।
- विलुप्त होती पाण्डूलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों को Digitise किया जाएगा ।
- नई योजना **"आज पुरानी राहों से"** आरम्भ की जाएगी।
- इन्डोर सभा गृहों के निर्माण के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान।
- कवियों/लेखकों/साहित्कारों के दैनिक भत्तों में 50 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा।
- वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा हेतु नई योजना **"देव भूमि दर्शन"** आरम्भ करने की घोषणा।
- बहुउद्देशीय इन्डोर खेल कॉमप्लेक्स के निर्माण हेतु ₹15 करोड़ का बजट प्रावधान।

- **"मुख्यमन्त्री खेल विकास योजना"** के अन्तर्गत ₹6.80 करोड़ का बजट प्रावधान।
- **"हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण कोष"** के अन्तर्गत आपात्कालीन चिकित्सा राशि ₹50,000 से बढ़ाकर ₹2.50 लाख करने की घोषणा। इसके लिए आय सीमा को हटाया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए नई **"स्वास्थ्य में सहभागिता योजना"** आरम्भ।
- सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिए नई **"मुख्यमन्त्री निरोग योजना"** आरम्भ।
- **"निःशुल्क दवा नीति"** के अन्तर्गत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर निशुल्क दी जाने वाली दवाईयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
- मिज़ल और रूवेला की बीमारियों की रोकथाम के लिए 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य।
- नई **"मुख्यमन्त्री आशीर्वाद योजना"** के अन्तर्गत सभी नवजात शिशुओं को ₹1,500 मूल्य की **"नव आगन्तुक"** किट दी जाएगी।
- IGMC में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराई

जाएगी।

- राज्य के गम्भीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए **"मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष"** का गठन।
- **"मदर टेरेसा मातृ आश्रय सम्बल योजना"** के अन्तर्गत सहायता राशि को बढ़ाकर ₹5,000 करने का प्रस्ताव।
- **"बेटी है अनमोल"** के अन्तर्गत BPL परिवारों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर ₹12,000 करने का प्रस्ताव।
- नई व्यापक **"सशक्त महिला योजना"** की घोषणा।
- **"स्वास्थ्य बीमा योजना"** के अन्तर्गत एक या दो बेटियों वाले परिवारों का क्रिटिकल केयर पैकेज ₹1,75,000 से बढ़ाकर ₹2,50,000 करना प्रस्तावित करता हूँ। अतिरिक्त ₹75,000 की राशि केवल बालिकाओं को देय होगी।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर ₹750 प्रतिमाह तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के

व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर ₹1,300 प्रतिमाह करने की घोषणा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए ₹600 करोड़ का बजट प्रावधान।

- सोलन हमीरपुर तथा चम्बा जिलों में एक–एक महिला पुलिस थाना खोलना प्रस्तावित।
- नियमित सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों को मूल वेतन/पैन्शन पर 1 जुलाई, 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अन्तरिम सहायता देना प्रस्तावित।
- अनुबन्ध कर्मचारियो को मूल वेतन के साथ ग्रेड पे का दोगुना वेतन स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाकर ₹225 प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित।
- पार्ट टाईम वाटर कैरियर, मिड् डे मील वर्करस, SMC Teachers, आशा कार्यकर्ता, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायक तथा जल रक्षक के मानदेय में बढ़ौतरी।
- कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए ₹65 करोड़ तथा रख–रखाव के लिए ₹25 करोड़ का बजट प्रावधान।
- सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।

➢ वर्ष 2018–19 में ₹41,440 का बजट प्रावधान प्रस्तावित।

निष्कर्ष

159. अध्यक्ष महोदय, जिस दिन से हमारी भाजपा सरकार ने कार्यग्रहण किया है, हमने एक पारदर्शी एवं कार्यकुशल प्रशासन देने की प्रतिबद्धता दिखाई है। हमने इस बजट के माध्यम से एक महत्वाकाँक्षी कार्ययोजना का लक्ष्य निर्धारित किया है जो वास्तव में आसान नहीं है। यह एक लम्बी यात्रा की छोटी सी शुरूआत है।

मैं यहाँ पर उर्दू के प्रसिद्ध कवि निदा फाज़ली को उद्धृत करना चाहूँगाः

"सफर में धूप तो होगी चल सको तो चलो।

सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो।।"

यह बजट समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित करता है तथा उन्हें प्रदेश के विकास में बराबरी की साझेदारी देता है। यह सुधार एवं परिवर्तन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह युवा वर्ग के लिए आशा की एक किरण है क्योंकि इसमें उनके रोजगार सृजन की अनेक नई योजनाएं हैं। यह बजट किसानों व बागवानों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए पूरी रणनीति प्रस्तुत करता है। यह बजट प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सुदृढ़ कदम भी दर्शाता है। इसमें

महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत से कदम हैं।

यह बजट न केवल हमारे विकास की दिशा इंगित करता है, बल्कि यह हमारे प्रयासों के परिणामों का प्रतिबिम्ब भी है। समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास, प्रगति की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी एवं राज्य के चहुँमुखी विकास को सुनिश्चित करने के साथ ही, यह धरातल पर साकार होती हुई जन आकांक्षाओं का दस्तावेज है।

अध्यक्ष महोदय, श्रद्धेय अटल जी की निम्न पक्तियों के साथ मैं इस बजट को माननीय सदन को संस्तुत करता हूँ:–

"हम पड़ाव को समझें मंजिल,

लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल

वर्तमान के मोहजाल में...

आने वाला कल न भुलाएं

आओ फिर से दिया जलाएं,

आओ फिर से दिया जलाएं।।"

जय हिन्द।

जय हिमाचल।।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2 घण्टे, 45 मिनट में वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों को बिना रुके, बिना थके और बिना जल पीये प्रस्तुत किया। मैं मुख्य मंत्री जी को उनके जीवन का पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 के 02.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 09 मार्च, 2018 **सचिव।**